



राष्ट्रीय

खबर 30 दिन

खबरों में दम, सबसे पहले हम



मोदी सरकार की उपलब्धियों के 11 साल

**घोटालेबाज रेंजर का
काला खेल उजागर
राइस मिल से गायब
सरकारी धान**



मरवाही रेंजर
रमेश खेरवार

मूल्य 25/-

मीडिया पार्टनर -





श्री नरेन्द्र मोदी
राष्ट्रपति



श्री विष्णु देव साय
राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़

सुशासन की डगर

युवाओं के स्वर्णिम भविष्य
की राह तैयार



शासकीय विभागों के
9000 से अधिक
पदों पर भर्ती जारी,
शासकीय भर्तियों में
आयु सीमा में **5 वर्ष**
की छूट



सुशासन की राह तैयार
युवाओं के भविष्य के लिए

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [ChhattisgarhCMO](#) X [ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [DPRChhattisgarh](#) X [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)



स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक अब्दुल सलाम
खोंगापानी, मेन मार्केट, वार्ड-9, तह. मनेन्द्रगढ़,
जिला-कोरिया (छ.ग.) द्वारा एस.एस. प्रिंटर्स,
खोंगापानी जिला-कोरिया (छ.ग.) से मुद्रित
कराकर खोंगापानी, तह. मनेन्द्रगढ़, वार्ड-9
जिला-कोरिया (छ.ग.) पिन-497447
से प्रकाशित। संपादक अब्दुल सलाम
मोबाइल : 9424257566

कार्यालय

खोंगापानी, मेन मार्केट, वार्ड-9
तह. मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

प्रधान कार्यालय

अश्वनी नगर, छोटा हनुमान नगर,
दीपक दीवान निवास, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001

क्षेत्रीय कार्यालय

एलआईजी, बीएल-03/108,
परसकोल रोड, पानी टंकी के पास
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
महासमुंद पिन कोड- 493445



**मोदी सरकार की
उपलब्धियों के**

11 साल

■ घोटालेबाज रेंजर का काला खेल उजागर!	05
■ राज्य सूचना आयोग के आदेश की अनदेखी	06
■ राइस मिल से गायब सरकारी धान	07
■ सात सौ 'शिक्षक महारती' बेनकाब अब नहीं चलेगी 'पहुँच' की पंचायत	10
■ कहीं मतावले 'बलि का बकरा' तो नहीं?	11
■ केशकाल की पहाड़ियों पर विकास का सुपर हाईवे	13
■ पुलिस है पर नहीं है उसका कोई डर	15
■ 'शिक्षा की पवित्रता पर चोट, शिक्षा की गरिमा को किया शर्मसार'	17
■ आदेशों की उड़ रही धजियाँ!	18
■ सालों से चल रही लकड़ी तस्करी का बड़ा खुलासा	20
■ छत्तीसगढ़ बना जीएसटी सुधारों का आदर्श मॉडल	22
■ झोलाछाप डॉक्टर बना जल्लाद: बीएमओ बन गया पहरेदार	23
■ हाईटेक नकल की राष्ट्रीय साजिश!	24
■ जब खुद चाहेंगे तब होंगे रिटायर मोदी	25
■ बिजली तो महंगी होती जाती है...	26
■ नियम है तो यह तो होना ही था...	27
■ सत्ता के साथ अहंकार भी आता है...	28
■ लोगों को बेसब्री से इंतजार है अगले बरस के बस्तर पंडुम का	29
■ बस्तर में फैल रहा है अब विकास का उजियारा	30
■ कचरा नहीं, 'कंचन है ये छिलका'	32

प्रकाशित रचनाओं के विचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं है। खबर 30 दिन से संबंधित सभी विवादास्पद मामले खोंगापानी, जिला-मनेन्द्रगढ़ न्यायालय के अधीन होंगे।

मजबूत सरकार भी बड़ी उपलब्धि है

पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल के दौरान मोदी सरकार की कई उपलब्धियां रही हैं। ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं कि उस पर भाजपा नेताओं को जितना गर्व होता है, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को उतना ही बुरा लगता है कि कमजोर सरकार, दो दलों की बैशाखी पर चल रही सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल तो जब एनडीए की सरकार की बनी और पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बने तो यह कहते थे कि यह तो कमजोर सरकार है, यह तो छह माह से ज्यादा नहीं चलने वाली है। इस सरकार तो नीतीश कुमार व चंद्रबाबू कभी भी गिरा देंगे। छह माह बाद तो देश में विपक्ष की सरकार बनने वाली है।

ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास नहीं किए। छह माह में कई बार प्रयास किए। संसद के भीतर प्रयास किए, संसद के बाहर प्रयास किए। उनको नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में आम धारणा थी कि वह तो कभी भी किसी कारण से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार ने कोई पलटी नहीं मारी। नीतीश कुमार व चंद्रबाबू को मुसलमान वोट के नाम पर डराने का काम किया गया। विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि जब वक्फ बिल संसद में पेश किया जाएगा तब मोदी सरकार से नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्फ बिल पर भी नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ बने रहे।

कई लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी को मजबूत सरकार चलाने का अनुभव है, वह साझा व कमजोर नहीं चला पाएंगे, वह नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी जैसे मजबूत सरकार चलाते थे, वैसे ही उन्होंने साझा सरकार भी चलाकर दिखाई है। नीतीश व चंद्रबाबू नायडू को शिकायत को कोई मौका नहीं दिया है। दोनों अपने राज्य के लिए जितना सहयोग चाहते थे, पीएम मोदी ने उससे ज्यादा सहयोग उनका किया है। विपक्ष जिसे कमजोर सरकार कहता था पीएम मोदी ने उसे एक साल मजबूत सरकार बना दिया है। आज एक साल विपक्ष का कोई नेता नहीं कह रहा है कि यह कमजोर सरकार है, यह तो हम कभी भी गिरा देंगे।

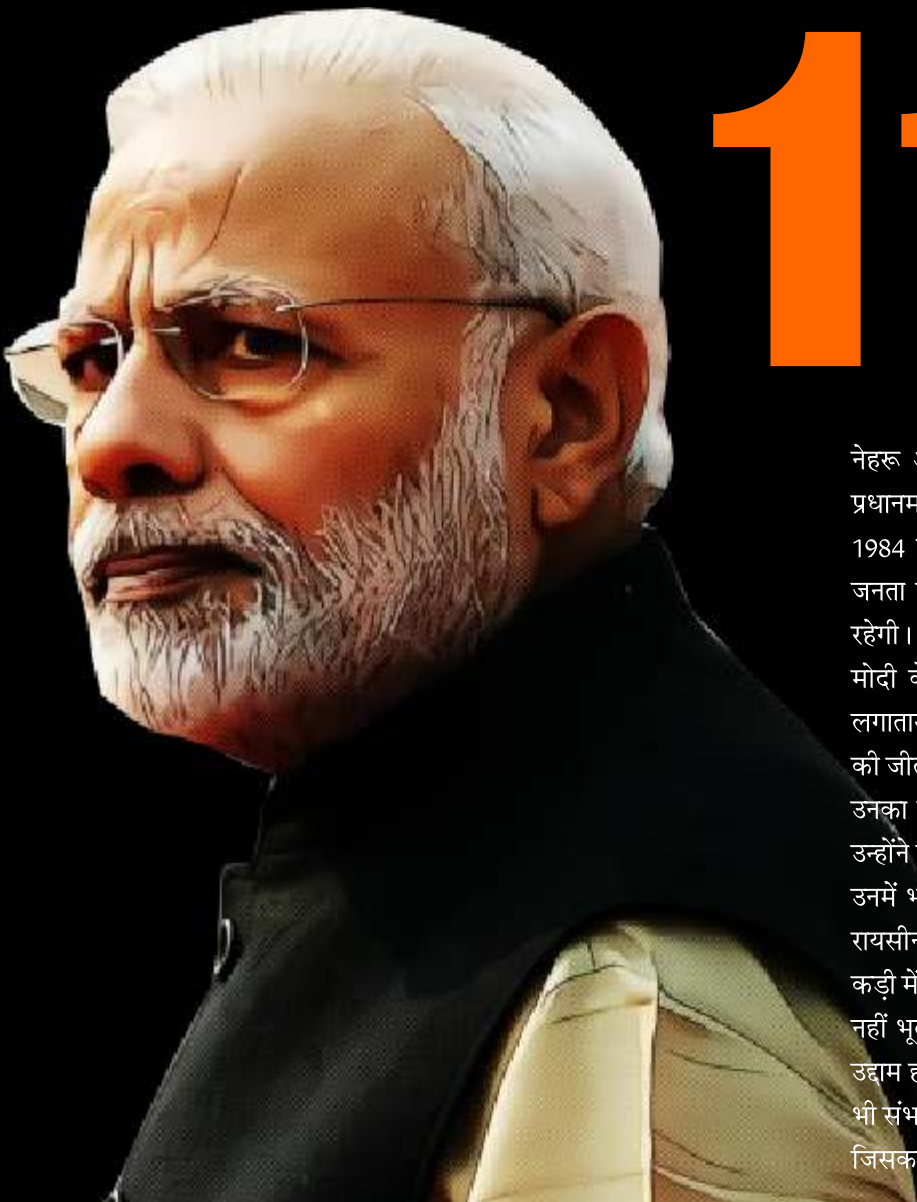
पीएम मोदी की यह काबिलियत है कि उन्होंने कमजोर सरकार को एक साल में मजबूत सरकार बना दिया है। इतनी मजबूत सरकार बना दिया है कि वह बड़े और कड़े फैसले ले रही है और सारे सहयोगी दल उसके साथ बने हुए हैं। वक्फ बिल लाना ऐसा ही बड़ा और कड़ा फैसला है। कई लोग मान कर चल रहे थे कि वक्फ बिल को मोदी सरकार पास नहीं करा पाएगी लेकिन वह पीएम मोदी ने पास करा लिया है। कानून बन गया है। विपक्ष उसे सुप्रीम कोर्ट में ले गया, सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि फैसला मोदी सरकार के पक्ष में ही आएगा। ऐसा होता है तो यह मोदी सरकार की एक और उपलब्धि होगी।

पीएम मोदी ने कमजोर सरकार को मजबूत सरकार बना दिया। यही वजह है कि वह पहलगाम घटना के विरोध में वह आपरेशन सिंदूर चलाने का फैसला कर सकी और पाकिस्तान के भीतर नौ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे और बड़ी जवाबी कार्रवाई कर बता दिया कि आज भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। वह कुछ दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। इससे पहले देश में कई सरकारें हुईं, लेकिन किसी सरकार ने पाकिस्तान के भीतर आतंकियों की ठिकानों पर हमला नहीं किया। मोदी की सरकार ने ऐसा किया और फिर साबित किया कि मोदी की सरकार मजबूत सरकार है तथा वह बड़े फैसले आसानी से कर सकती है।

भारतीय परंपरा में ग्यावर की संख्या शुभ मानी जाती है। पारिवारिक और धार्मिक समारोहों में शागुन के रूप में ग्यावर रूप की भेंट देने की परंपरा इसी वजह से रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को शागुन काल भी कह सकते हैं। ग्यावर आल का वक्त कम नहीं होता। इस दौरान पीढ़ी भी बदल जाती है। ऐसे में इस पूरे दौर का जो मूल्यांकन होगा, उसे पीढ़ीगत नजरिए से भी देखना होगा, क्योंकि हर नई पीढ़ी का नजरिया बुजुर्गों से अलग होता है। इन अर्थों में देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और उनका कार्यकाल अनूठा लगेगा। मोदी और उनकी कार्यशैली पुरानी पीढ़ी को भी पसंद हैं और नई पीढ़ी के तो प्रेरक हैं ही। इसकी वजह है, उनकी अद्भुत अप्रैषण कला, जिसके जरिए वे सीधे लोगों के दिलों से जुड़ जाते हैं।

मोदी सरकार की उपलब्धियों के

11 साल



नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल के बाद लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की सूची में मोदी पहुंच चुके हैं। किसने सोचा था कि 1984 में महज दो लोकसभा सीटों तक सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी लगातार तीन संसदीय चुनावों में बाजी मारती रहेगी। इसमें शक नहीं कि यह उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नेतृत्व से ही हासिल हुई है। अगर जनता ने मोदी पर लगातार भरोसा जताया तो इसकी वजह है उनकी कार्यशैली। 2014 की जीत में लोगों की उम्मीदें थीं। इन उम्मीदों की वजह विकास का उनका गुजरात मॉडल रहा। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उन्होंने जो कोशिश की, 2019 में उसे जनता का भरपूर साथ मिला। उनमें भरोसे की वजह ही थी कि उन्हें और ज्यादा भारी बहुमत से रायसीना की पहाड़ियों के बीच शपथ लेने का मौका मिला। इस कड़ी में देखें तो 2024 में बहुमत से दूर रह जाना खटकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि दस साल के कार्यकाल में आकांक्षाओं का उद्गम होना स्वाभाविक है और सारी आकांक्षाओं का पूरा कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए कुछ लोग हो सकता है निराश भी रहे हों। जिसका असर चुनाव नतीजों पर दिखा।

मोदी के कार्यकाल की कई उपलब्धियाँ हैं। मोटे तौर पर सबसे बड़ा जो बदलाव दिखता है, वह है कि इस पूरी अवधि में देश में कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है। जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र की सोच में पारंपरिक भ्रष्टाचारी गंध है। मोदी सरकार के कार्यकार में यह हुआ है कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसता रहा है। इस शिकंजे से न तो अधिकारी बाहर हैं और न ही राजनेता। तकरीबन पूरे देश में सरकारी तंत्र के कामकाज का अपना तरीका रहा है, उसकी अपनी गति रही है। लेकिन मोदी के नेतृत्व में अब कामकाज का तरीका बदला है। इसे समझने के लिए हाल ही में हुए दुनिया के सबसे ऊँचे पुल के उद्घाटन समारोह को देख सकते हैं। चिनाब पुल के उद्घाटन के वक्त जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इस परियोजना की शुरुआत हुई, तब वे आठवीं में पढ़ रहे थे, अब वे पचपन साल के हैं और अब जाकर यह पूरा हो पाया है। मोदी के ग्यारह साल के शासन में तंत्र का कामकाज का तरीका बदला है। अब वह ज्यादा अनुशासित और लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करने को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध हुआ है। नौकरशाही में संजीदापन तो आया है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नौकरशाही पर तंत्र के दूसरे अंगों की बजाय ज्यादा भरोसा बढ़ने की वजह से तटस्थ लोगों की नजर में ब्यूरोक्रेसी कई मामलों में बेलगाम भी हुई है। इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय मोदी सरकार अपनी ग्यारह सालगिरह मनाने जा रही है, उसी वक्त विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान देश में गरीबों की संख्या 27.1 फीसद से घटकर 5.3 प्रतिशत रह गई है। इससे पहले बीते एक दशक में अत्यधिक गरीबी में जिंदगी गुजार रहे लोगों की दर 2011-12 में जहाँ 27.1 प्रतिशत रही, वह घट कर 5.3 फीसद रह गई है। यह तब हुआ है, जब विश्व बैंक ने गरीबी रेखा के लिए तीन डॉलर प्रतिदिन खर्च की सीमा कर दी है, जबकि इसके पहले यह सीमा 2.15 डॉलर प्रतिदिन थी। जाहिर है कि इसके पीछे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न योजना के साथ ही उज्ज्वला, मुद्रा आदि योजनाओं की कामयाबी रही है। मोदी सरकार की कई उपलब्धियाँ हैं। देश ने मेडिकल कॉलेजों के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2014 में जहाँ इन कॉलेजों की संख्या 387 थी, वह 2025 में बढ़कर 780 हो गई है। इसी तरह एमबीबीएस की सीटें भी 51,348 से बढ़कर 2024 में 1.18 लाख हो गई हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के दावे के अनुसार, 17.1 करोड़ नई नौकरियाँ निकलीं। इस दौरान स्टार्टअप से 1.61 लाख युवाओं को रोजगार मिला।

बीजेपी के दावे के अनुसार, सरकार की कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 2.27 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक करीब दस करोड़ 28 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत करीब 52 करोड़ ऋण खते खोले गए हैं, यानी करीब इतने लोगों को कर्ज मिल चुका है। इससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास, जन-धन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका

निभाई है। देशभर में बारह करोड़ शौचालयों का निर्माण भी मामूली उपलब्धि नहीं है। मोदी सरकार की इन योजनाओं के चलते देश में बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव डीबीटी यानी सीधे कैश ट्रांसफर की योजनाओं ने ग्रामीण और कमजोर वर्गों तक शासन की योजनाओं की पहुँच बढ़ाई है।

जापान को पछाड़कर भारत हाल ही में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका भी श्रेय मोदी सरकार को ही जाता है। देश सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक मोर्चे पर लगातार विकास कर रहा है। इस विकास में परंपरा, आधुनिकता और वैश्विक जुड़ाव का अद्भुत समावेश नजर आता है। मोदी सरकार की ही देन है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल लोक, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ धाम और जूना सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। राममंदिर के निर्माण की उपलब्धि ही मोदी सरकार के खाते में जाती है। इसी दौरान उत्तराखंड में चारधाम राजमार्ग परियोजना, हेमकुंड साहिब रोपवे और बौद्ध सर्किट विकास जैसी योजनाएं शुरू हुईं। करतारपुर कॉरिडोर के चलते पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब भारतीय सिखों के लिए सुलभ हुआ। इसी दौरान राष्ट्रनिर्माताओं को सम्मान देने की दिशा में प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जलियांवाला बाग स्मारक और 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। मोदी के कार्यकाल में ही देश की खोई धरोहरों की वापसी का अभियान तेज हुआ। 2013 से पहले विदेशों में चोरी से गई सिर्फ 13 प्राचीन वस्तुओं की ही वापसी हुई थी, जबकि 2014 के बाद से अब तक 642 प्राचीन वस्तुएं भारत लौटाई गई हैं, जिनमें से अकेले अमेरिका से 578 कलाकृतियां लौटी हैं। आयुर्वेद और योग की वैश्विक मान्यता भी मोदी सरकार की ही उपलब्धि कही जाएगी।

मोदी सरकार के ही कार्यकाल में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी और उसे लागू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर उसका ही प्रतीक है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा, 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे कदम मोदी सरकार ने ही उठाए। मोदी के शासन काल में भारत ने ग्लोबल साउथ की अवधारणा को मजबूत करते हुए अफ्रीकी देशों से नए सिरे से संबंध बढ़ाए। रूस और यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी रोक-टोक के बावजूद भारत रूस से सस्ती दरों पर पेट्रोलियम तेल खरीदने में सफल रहा। उत्तर पूर्वी राज्यों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिशें इसी दौर में तेजी से बढ़ीं। नक्सलवाद पर लगाम भी तेजी से इसी दौर में लगा।

मोदी सरकार की उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी, बहुरंगी देश में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आर्थिक आय की असमानता में संतुलन आज की बड़ी जरूरत है। भारत को यूरोप की तर्ज पर विकसित करने, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की जरूरत अब भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में भारत इन उपलब्धियों को भी हासिल करने में सफल रहेगा।

घोटालेबाज रेंजर का काला खेल उजागर!

मरवाही वनमंडल में 18 लाख से ज्यादा की लूट, फर्जी सील, सिग्नेचर और बिलों का जाल एसडीओ ने खोली साजिश की परते!

मरवाही बना भ्रष्टाचार का केंद्र विभागीय अफसरों की पूरी चेन पर सवाल!

[अब्दुल सलाम कादरी]

मरवाही वनमंडल ने आमने आई इन अनजानीनवेज नवबन ने पूरे छत्तीसगढ़ के वन विभाग को झकझोर कर नव दिया है। यहाँ मछन एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा तंत्र घोटाले में अलिप्त पाया गया है।

घोटाले के मुख्य किरदार

तत्कालीन डीफओ रौनक गोयल

रेंजर रमेश खरवार, मरवाही

डिप्टी रेंजर श्रीकांत परिहार

वनरक्षक जवाहर

संलग्न- अविनाश मैनुअल

इन सभी ने सेल कोटा और नेचर कैम्प के नाम पर फर्जी बिलों के ज़रिए लाखों की रकम सरकारी खजाने से निकाल ली।

श्रीकांत परिहार ने किए फर्जी हस्ताक्षर, बिलों में बड़ा खेल!

जांच में सामने आया कि डिप्टी रेंजर श्रीकांत परिहार ने अन्य वनरक्षकों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज बनाए। इन दस्तावेजों के आधार पर फर्जी मजदूरी और सामग्री बिल तैयार किए गए और उनका भुगतान भी करवा दिया गया।

रेंजर और संलग्न एसडीओ की मिलीभगत से बना मोरखधंधा!

जब उप मंडल अधिकारी मोहर सिंह मरकाम उपवनमंडल पेण्ड्रा छुट्टियों पर गए तब रेंजर रमेश खरवार ने मौके का फायदा उठाकर संलग्न अधिकारी अविनाश मैनुअल से फर्जी प्रमाणन करवाया और मजदूरों तथा सामग्री के बिलों को पास करा लिया।

यह घोटाला कोई पहली बार नहीं हुआ पूर्व में भी ऐसे ही फर्जी दस्तावेजों से भुगतान किया गया है।

एसडीओ मोहर सिंह की सख्ती से हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा!

हाल ही में जब फिर से इसी तरह के बिलों को भुगतान के लिए भेजा गया तब एसडीओ मोहर सिंह मरकाम ने दस्तावेज देखकर साफकहा ना ये मेरे हस्ताक्षर हैं ना ही ये मेरी सील है। इसके बाद उन्होंने गंभीरता से जांच शुरू कर दी जिससे पूरे नेटवर्क की साजिश सामने आई।

अब सरकार की अग्निपरीक्षा क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ़ ज़रूरी है?

अगर इतने पुख्ता सबूतों के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाए जाते तो ये बाकी भ्रष्ट अफसरों को खुला न्योता होगा कि 'लूटो और निकल जाओ'।

मरवाही घोटाला छत्तीसगढ़ के वन विभाग की साख पर सीधा हमला है। अब या कभी नहीं सिस्टम से गंदगी हटाना ज़रूरी है!



- घोटालेबाजों का गठजोड़ मिर्फ अन्वेषण नहीं, छे गिनफ्तानी और जांच!
- यह मछन एक विभागीय चूक नहीं बल्कि अंगठित भ्रष्टाचार है
- पूरे गिनोठ की सीबीआई या इओडब्ल्यू से जांच लेनी चाहिए
- रेंजर रमेश खरवार श्रीकांत परिहार अविनाश मैनुअल और अन्य की भूमिका की गहवाई से जांच छे इनके अम्पति की जांच छे इनके निश्तेदावों की अम्पतियों की भी जांच छे।
- तत्काल प्रभाव से निलंबन एफआईआर और गिनफ्तानी की कार्रवाई छे

इस पूरे प्रकरण में दोषियों को सज़ा दिलाना ज़रूरी है ताकि यह एक नज़ीर बने और भविष्य में कोई अधिकारी विभागीय धन को अपनी जागीर न समझे।

इसी कड़ी में अगला अपडेट और मरवाही वनमण्डल में हुए एक एक घोटाले की परते आपके सामने खोली जाएगी, अगले अंक में पढ़िए मरवाही वन मण्डल में किसके पास कितनी सम्पत्ति

राय सूचना आयोग के आदेश की अनदेखी

वया वन मंडल मरवाही का डीएफओ आरटीआई कानून की अवहेलना कर रहा है?

सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग?



मरवाही वन विभाग में छल छी में एक ऐना मामला आमने आया है, जिम्मेने राज्य सूचना आयोग के आदेश को ठेंगा दिवने औन सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दुरुपयोग के अवलों पर कड़ा वान किया है। मरवाही वन मंडल के डीएफओ पर आरोप है कि उन्होंने राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की अनदेखी करने छुए, अपिलेन्ट अब्दुल सलाम कादरी अमेत कई नागरिकों को निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया है।

मामले का पृष्ठभूमि

2023 में माननीय राज्य सूचना आयोग ने चार मामलों में अपिलेन्ट अब्दुल सलाम कादरी के पक्ष में आदेश पारित किया था, जिसमें डीएफओ मरवाही को एक माह के अंदर निशुल्क जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय में अपिलेन्ट ने डीएफओ को लिखित एवं मौखिक रूप से जानकारी देने का निवेदन किया। साथ ही, सीसीएफ बिलासपुर को भी इस विषय की

जानकारी दी गई थी।

आरोप और विवाद

आदेश की अनदेखी

रिपोर्ट के अनुसार डीएफओ और उनके स्टेनोग्राफर ने राज्य सूचना आयोग के आदेश को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में रखने का प्रयास किया है। ऐसा माना जा रहा है कि वन विभाग के कुछ रेंजर और अधिकारी अब आरटीआई कानून को सार्वजनिक हित की बजाय अपनी जेब में रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

विस्तृत शिकायतें

अपिलेन्ट ने न केवल राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि इस डीएफओ के खिलाफ हाईकोर्ट में पेटिशन दाखिल करने की भी तैयारी की है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी शिकायत भेजी जा रही है। इस कदम से यह सवाल उठता है कि क्या उच्च अधिकारियों द्वारा जल्द ही उचित कार्यवाही की जाएगी या यह मामला पद का दुरुपयोग बनकर रह जाएगा।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

कई लोगों के अनुसार पूर्व कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार के बाद यह उम्मीद की गई थी कि बीजेपी शासन में यह समस्या नहीं होगी। परन्तु वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वन विभाग में

भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी अब भी बरकरार है।

प्रशासनिक निष्क्रियता और नागरिक हक

इस मामले से यह उजागर होता है कि कैसे कुछ वन विभाग के अधिकारी सूचना का अधिकार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाते हुए नागरिकों के हक को नजरअंदाज कर रहे हैं। नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अनगिनत अपीलें और शिकायतों के बावजूद भी जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।

आगे की कार्यवाही की संभावना

अपिलेन्ट द्वारा हाईकोर्ट में पेटिशन दाखिल करने की तैयारी और संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजने से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कड़ी कार्यवाही होगी। अगर डीएफओ के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला वन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक चिंताजनक मिसाल बन सकता है।

निष्कर्ष

इस मामले में राज्य सूचना आयोग का आदेश ठेंगा दिखाने और जानकारी से वंचित रखने के प्रयास ने वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के तंत्र पर कड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। न केवल नागरिकों का हक प्रभावित हो रहा है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की कमी को भी उजागर किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते उचित कदम उठाए जाते हैं या नहीं, जिससे जनता का विश्वास बहाल हो सके।

यह खबर वन विभाग में प्रशासनिक निष्क्रियता, पारदर्शिता की कमी और नागरिकों के सूचना के अधिकार के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में वन विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

राइस मिल से गायब सरकारी धान

संदिग्ध हालत में मंडी में मिला, खेल या सुनियोजित चाल!

क्या जाँच में खुलेगी राइस मिलों की घोटालों की परतें या की जाएगी लीपापोती!



[अश्वनी सोनी]

छत्तीसगढ़ के मछामुंद जिले में धान की राजनीति और भ्रष्टाचार की कहानी अब एक नए मोड़ पर है। मछामुंद जिले के पिथौरा में स्थित एक कृष्णा राइस मिल ने अचानक 6000 से अधिक अनकानी धान के कट्टे नष्टमय तरीके से गायब हो गए हैं। ये नुबलान्ना उन्न वक्त हुआ जब नवाद्य विभाग और विपणन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम निरीक्षण पर पहुँची। जाँच में जब अनकानी स्टॉक की पड़ताल की गई, तो धान के ठजानों कट्टे नदानद मिले। यठ कोई आधानण प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक गहनी और सुनियोजित आजिशा की ओर इशारा कर रही है।

पिथौरा धान घोटाले की जैसे ही जाँच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी गई, प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस घोटाले ने जिले भर में सनसनी फैला दी है। इस पूरे मामले में मिलर्स को शोकाँज नोटिस दिया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता— असली नाटक तो तब शुरू हुआ जब यही गायब हुआ धान पिथौरा मंडी में बिना किसी सरकारी अनुमति के पाया गया।

पिथौरा जाँच अधिकारियों के अनुसार, राइस मिल से गायब हुए करीब 6000 धान के कट्टों की मात्रा मंडी में मिलान करने पर बराबर पाई गई। यानी जो धान स्टॉक में होना चाहिए था, वो मंडी में गैरकानूनी रूप से पड़ा मिला। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह पूरी योजना राइस मिलर्स और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है?

क्या है 'धान घोटाले' की असली पटकथा?

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से धान की खरीदी, भंडारण और मिलिंग को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार महासमुंद जिले से

सामने आई यह घटना न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे कुछ मुनाफाखोर मिलर्स सरकारी अनाज को निजी व्यापार में बदल रहे हैं।

पिथौरा में जाँच पर पाया गया कि जिस कृष्णा राइस मिल में सरकारी सीएमआर (Custom Milled Rice) के लिए रखा गया धाना होना चाहिए था, वहाँ वो स्टॉक नहीं मिला। इस पर जब गहराई से जाँच की गई तो मिलर्स किशन अग्रवाल द्वारा मंडी परिसर में धान रखे जाने की बात सामने आई। वह भी बिना किसी वैद्य दस्तावेज के।

सवाल यह उठता है कि क्या मिलर्स किशन अग्रवाल द्वारा मंडी परिसर में धान रखे जाने की अनुमति खाद्य विभाग से की, अगर नहीं की तो खाद्य विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

पिथौरा में पदस्थ वहीं मंडी सचिव शैलेन्द्र नायक ने कहा कि किशन अग्रवाल ने केवल मौखिक रूप से मंडी में धान रखवाया था और वह भी केवल 15 दिनों के लिए। लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी न तो धान उठाया गया, न ही कोई आधिकारिक सूचना दी गई। हमारे द्वारा मंडी अधिनियम के तहत उनसे किराया वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

महासमुंद जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल पंचनामा तैयार करवाया और जाँच रिपोर्ट को जिला कलेक्टर को सौंप दिया है।

उन्होंने कहा— 'करीब 6000 कट्टा धान राइस मिल में मौजूद नहीं था। इसकी पुष्टि होने के बाद हमने मिलर्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।'

प्रश्न यह उठता है कि इस 'नाटक' के पात्र कौन?

इस पूरे घोटाले में तीन मुख्य पात्र सामने आ रहे हैं—

— राइस मिलर किशन अग्रवाल, जिन पर सरकारी धान के गायब होने और

घोटाला

उसे गैरकानूनी रूप से मंडी में रखने का आरोप है।

- राइस मिल का प्रबंधन, जो बिना अनुमति सरकारी धान को यहाँ-वहाँ स्थानांतरित कर रहा था।
- संभावित लिफ्ट अधिकारी, जिनकी मिलीभगत से यह धान स्टॉक बिना किसी रिकॉर्ड के इधर-उधर हुआ।

महासमुंद जाँच एजेंसियों को अब यह पता लगाना है कि मंडी में पड़ा यह धान वास्तव में वही है जो राइस मिल से गायब बताया गया है। अगर यह साबित हो गया तो यह केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि आपराधिक मामला बन सकता है। जिसमें सार्वजनिक धान का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और मंडी अधिनियम के उल्लंघन जैसी धाराएँ लगाई जा सकती हैं।

महासमुंद प्रशासन की अग्निपरीक्षा

फ़ौरा का अब यह मामला केवल विभागीय नहीं रह गया है। आम जनता के बीच एक गहरा रोष है कि कैसे सरकारी अनाज को कुछ लालची व्यापारी और अफसर मिलकर गायब कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट की स्थितियों में इस प्रकार के घोटाले जनता की पीड़ा को और भी बढ़ाते हैं।

क्या यह मामला भी दबा दिया जाएगा या फिर प्रशासनिक अमला एक मिसाल

पेश करेगा?

यह देखना अब दिलचस्प होगा कि कलेक्टर इस मामले में कितनी पारदर्शिता से कार्रवाई करते हैं और दोषियों को किस हद तक सजा मिलती है।

महासमुंद जिला खाद्य अधिकारी -

‘हमारी जाँच में यह सामने आया है कि राइस मिल में जो धान होना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसके लिए हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी गई है।’

पिथौरा मंडी सचिव -

‘किशन अग्रवाल ने मौखिक रूप से मंडी में 15 दिन के लिए धान रखा था। लेकिन डेढ़ महीने से धान वहीं पड़ा है। अब मंडी अधिनियम के अनुसार उनसे किराया वसूला जाएगा।’

अब यह देखना है कि क्या पर्दा उठता है या गिरता है?

पिथौरा का यह धान घोटाला एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सरकारी योजनाओं में निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार का घालमेल हो सकता है। पर अब यह प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह इस ‘नाटक’ को सत्य, न्याय और पारदर्शिता के मंच पर किस अंजाम तक पहुँचाता है।

कानून के रक्षक ने रची जमीन हड़पने की चाल! जिंदा महिला को ‘मृत’ दिखाया, तहसीलदार पर दूटी गाज...

[अश्वनी सोनी]

सरगुजा संभाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने शासन-प्रशासन की ज़मीन से जुड़ी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैयाथान तहसील के तहसीलदार संजय राठौर को एक जीवित महिला को ‘मृत’ दिखाकर उसकी ज़मीन सौतेले बेटे के नाम पर हड़पने की साजिश रचने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला: ग्राम कोयलारी निवासी शैल कुमारी दुबे, पत्नी स्व. राधेश्याम दुबे, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तहसीलदार संजय राठौर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें मृत घोषित कर, उनकी निजी स्वामित्व की ज़मीन (ख.नं. 45/3, रकबा 0.405 हे.) का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेंद्रनाथ दुबे के नाम पर करवा दिया।

जाँच में गड़बड़ी का भंडाफोड़: अपर कलेक्टर सूरजपुर और तहसीलदार लटोरी की संयुक्त जांच टीम ने 9 जून को प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया कि -

- शैल कुमारी दुबे जीवित हैं।
- तहसीलदार संजय राठौर ने जानबूझकर उन्हें मृत दिखाया।
- भूमि के नामांतरण और बंटवारे में कुटिल साजिश और सत्ता का दुरुपयोग हुआ।

नियमों की धज्जियाँ, सीधा सरपेंशन = इस घोर अनियमितता को गंभीर मानते हुए आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत राठौर को सेवा दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाह और स्वेच्छाचारी करार दिया। नतीजतन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी हुआ। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर

कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है, और नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

प्रशासन से सवाल

क्या तहसील स्तर पर नामांतरण माफिया सक्रिय हैं? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं? क्या यह एकल मामला है या गहरी जड़ें हैं?

यह मामला केवल निलंबन से नहीं सुलझेगा, यह न्याय की कसौटी पर जन-विश्वास की परीक्षा है।



CMHO की कुर्सी पर 'अनुभवहीनता' का कब्जा

परविक्षा अवधि में जूनियर डॉक्टर को मिली जिले की कमान, नियमों की उड़ी धज्जियाँ!

शक्ति जिले में स्वास्थ्य प्रशासन का मजाक, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग में भूचाल ला दिया है। ऐसा लगता है कि अब अनुभव और वरिष्ठता का कोई मोल नहीं रह गया है, क्योंकि शक्ति जिले में एक परविक्षा अवधि वाली जूनियर डॉक्टर को सीधे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जैसे उच्च और जिम्मेदारी से भरे पद पर बैठा दिया गया है।

यह मामला है डॉक्टर पूजा अग्रवाल का, जिनकी नियुक्ति अगस्त 2022 में हुई थी। अभी तक वे अपनी परविक्षा अवधि भी पूरी नहीं कर पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा पद सौंप दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग और शासन की यह अनोखी 'कृपा' न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या अब किसी भी बिना अनुभव वाले अधिकारी को केवल राजनीतिक संरक्षण के दम पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद दिए जा सकते हैं?

क्या नियम ताक पर रख कर राजनीति हावी है?

स्वास्थ्य विभाग की नियमावली के अनुसार, किसी भी नव नियुक्त चिकित्सक को ग्रामीण या अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा देना अनिवार्य होता है। इसी के बाद उनकी परविक्षा अवधि समाप्त होती है और वे

स्थायी रूप से किसी पद के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा, परविक्षा अवधि में किसी डॉक्टर को किसी सेक्टर का भी प्रभार नहीं सौंपा जाता, तो फिर क्यों डॉक्टर पूजा अग्रवाल को सीधे CMHO क्यों बना दिया गया? क्या इसके पीछे भी राजनीतिक षड्यंत्र है?

क्या वरिष्ठता कोई मायने नहीं रखती?

शक्ति जिले में कई वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सा अधिकारी वर्षों से कार्यरत हैं। ये अधिकारी वर्षों की सेवा, अनुभव और कठिनाई भरे कार्य क्षेत्र में काम कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें दरकिनार कर एक जूनियर डॉक्टर को जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुखिया बनाना स्वास्थ्य विभाग के नियमों और प्रशासनिक गरिमा का सीधा-सीधा उल्लंघन है।

CMHO का पद जिम्मेदारी और जवाबदेही का केंद्र!

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद केवल एक टाइटल नहीं है, बल्कि यह पद पूरे जिले की स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट आवंटन और अनुशासन से जुड़ा होता है। CMHO को शासन द्वारा करोड़ों रुपये का बजट दिया जाता है, जिसके सही उपयोग की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक गलती होती है, तो जवाबदेही भी उन्हीं की होती है।

अब सवाल यह है कि क्या एक अनुभवहीन और परविक्षा अवधि में कार्यरत डॉक्टर इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? अगर कल को किसी योजना में भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन उजागर होता है, तो इसका दोष किसके सिर जाएगा? डॉक्टर पूजा अग्रवाल के या फिर उन अफसरों का जिन्होंने उन्हें यह पद सौंपा?

क्या राजनीतिक संरक्षण है वजह?

डॉक्टर पूजा अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर शक्ति जिले की गलियारों में राजनैतिक हलचल हो गई है सिर्फ आम चर्चाओं में एक ही सवाल गूँज रहा है—क्या इस नियुक्ति के पीछे कोई 'ऊँची पहुँच' है? क्या यह नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर हुई है या फिर किसी राजनेता या उच्च पदस्थ अधिकारी के दबाव में? ये सवाल सिर्फ जनता नहीं, बल्कि विभाग के भीतर भी कानाफूसी का विषय बन चुके हैं।

स्थानांतरण नीति पहले से सवालों के घेरे में!

सिर्फ डॉक्टर पूजा की नियुक्ति ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की स्थानांतरण नीति भी पहले से सवालों के घेरे में है। नियमों के अनुसार ग्रेड-03 के कर्मचारियों का संभाग से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, फिर भी इस बार कई कर्मचारियों का स्थानांतरण संभाग पार करते हुए कर दिया गया है। आखिर विभाग अपने ही नियमों को क्यों तोड़ रहा है? क्या यह भी किसी खास योजना या दबाव का हिस्सा है?

विभाग और सरकार की चुप्पी रहस्यमयी!

पूरे मामले में शासन और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी और भी अधिक संदेह उत्पन्न करती है। न तो इस निर्णय की कोई स्पष्ट वजह बताई गई

है, न ही वरिष्ठ डॉक्टरों को इस नियुक्ति को लेकर विश्वास में लिया गया है। यह चुप्पी इस ओर इशारा कर रही है कि कुछ 'गंभीर और असामान्य' जरूर है, जिसे पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है।

अब शक्ति की जनता और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा?

एक जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था केवल डॉक्टरों या दवाओं से नहीं चलती, बल्कि यह कुशल नेतृत्व और अनुभव पर टिकी होती है। यदि स्वास्थ्य विभाग की बागडोर किसी अनुभवहीन अधिकारी के हाथों में सौंप दी जाए, तो आमजन की स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर गिरना तय है। इससे ना सिर्फ जनहित प्रभावित होगा बल्कि सरकार की छवि भी खराब हो सकती है।

क्या करेंगे शासन और स्वास्थ्य मंत्री?

अब यह देखना होगा कि शासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या वे अनुभव और नियमों को प्राथमिकता देते हुए इस निर्णय को पलटते हैं? या फिर राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेककर एक जूनियर डॉक्टर को जिले की CMHO की कुर्सी पर बैठे रहने देते हैं?

फिलहाल, शक्ति जिले की जनता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बस यही जानना चाहते हैं—क्या योग्यता की जगह अब सिर्फ पहुँच ही काबिलियत का मापदंड बन गई है? क्योंकि कि यह पहला मामला है इसके पहले भी चाहे वह नेत्र राज्य नोडल से लेकर कुछ जिलों में जूनियर CMHO बैठा कर रखे थे जिसका परिणाम उनकी हुई शिकायतों से मिला।

शक्ति जिले की जनता पूछ रही है क्या स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना?



युक्तियुक्त करण से खुला महासमुंद शिक्षा विभाग का चौकाने वाला राज

सात सौ 'शिक्षक महारती' बेनकाब अब नहीं चलेगी 'पहुँच' की पंचायत



[अश्वनी सोनी]

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्त प्रक्रिया ने महासमुंद जिले की शिक्षा व्यवस्था में छिपे एक बड़े नठन्य ने पर्दा उठा दिया है। इस प्रक्रिया के जनिष्ठ जब जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग कनाई गई तब सामने आया कि पूरे जिले में कनीब 700 शिक्षक 'अतिशेष' हैं। ये वे शिक्षक हैं जो वर्षों से अपनी 'पहुँच' और 'अनिफानिश्' के दम पर अपनी पन्दीदा स्कूलों में जमे हुए थे। चाहे वहाँ आवश्यकता हो या नहीं।

शिक्षा व्यवस्था में जड़ जमाएँ 'आरामपसंद शिक्षक'

महासमुंद जिला में शिक्षा विभाग की छानबीन में जो सामने आया वो बेहद चौकाने वाला है। जिले की कई शालाओं में एकल शिक्षक कार्यरत थे, वहीं कुछ स्कूलों में 3 से 5 तक शिक्षक अतिरिक्त रूप से डटे हुए थे। खास बात ये कि कई शिक्षक अपने मूल पदस्थापन स्थलों को छोड़कर ऐसी जगहों पर अटैच रहे, जहाँ उन्हें सुविधा, सहूलियत और अपने 'लोग' मिले।

एक चौकाने वाला उदाहरण महासमुंद के सिनोधा गाँव से सामने आया। यहाँ की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका स्वाति चन्द्राकर पिछले 7 वर्षों से अपने मूल पदस्थापन से दूरी बनाकर बृजराज पब्लिक स्कूल में अटैच रही। ग्रामवासियों ने दो बार ताला बंदी कर विरोध जताया, लेकिन शिक्षिका पर कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि उसकी पहचान और पहुँच शिक्षा विभाग में गहरी थी।

गाँव वालों ने उठाई थी आवाज लेकिन दबा दी गई

महासमुंद के सिनोधा ग्राम के ग्रामीणों ने बीते वर्ष स्कूल में ताला बंदी कर साफ कहा था- 'हमें हमारे स्कूल में शिक्षक चाहिए, किसी की मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं!' ग्रामीणों ने बार-बार जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत की, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। अब जबकि युक्तियुक्तकरण हुआ है, तो ऐसे दर्जनों मामले जिले भर से सामने आए हैं।

शिक्षा की लूट में लिप्त 'सरकारी शेर' बेनकाब!

महासमुंद जिले के बसना, सरायपाली, पिथौरा, बागबाहरा और महासमुंद ब्लॉक में सैकड़ों ऐसे शिक्षक मिले, जो या तो अनावश्यक रूप से अधिक संख्या में एक स्कूल में तैनात थे या अनाधिकृत रूप से अटैच होकर अपने मूल

पदस्थानों से दूर आराम फरमा रहे थे। यह किसी संगठित साजिश से कम नहीं, जिसने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को जकड़ रखा था।

ब्लॉकवार खुलासा इस प्रकार है -

- महासमुंद ब्लॉक : 208 अतिशेष शिक्षक
- सरायपाली ब्लॉक : 152 अतिशेष शिक्षक
- पिथौरा ब्लॉक : 139 अतिशेष शिक्षक
- बसना ब्लॉक : 126 अतिशेष शिक्षक
- बागबाहरा ब्लॉक : 75 अतिशेष शिक्षक

युक्तियुक्तकरण बना सुधार की चाबी

सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कमर कसी और शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें उन स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की, जहाँ एकल शिक्षक कार्यरत थे या शिक्षक की संख्या जरूरत थी। महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे ने स्पष्ट कहा- अब कोई स्कूल एकल शिक्षक स्कूल नहीं रहेगा।

'हमने 700 अतिशेष शिक्षकों को उनकी मूल या आवश्यक पदस्थापना स्थलों पर भेजा है। अब जिले में शिक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित होगी। कोई भी शिक्षक अगर लापरवाही करेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

विजय लहरे, जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद

अब 'ताला बंदी' नहीं, शिक्षा की अलख जगेगी

हर साल ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की अनुपलब्धता के चलते पालकों को स्कूलों में ताला बंदी करनी पड़ती थी। यह व्यवस्था आक्रोश और असंतोष को जन्म देती थी। इस तालाबंदी के चलते कुछ अभिभावकों पर तो पुलिस एफआईआर तक दर्ज की गई थी। लेकिन अब जिला प्रशासन का दावा है कि ऐसी नौबत फिर नहीं आएगी।

सवाल वही-अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

बड़ा सवाल यह भी है कि कि ये 700 शिक्षक इतने वर्षों तक अतिरिक्त क्यों बने रहे? क्या जिन अधिकारियों के समय में ये सब चलता रहा, उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि युक्तियुक्तकरण ने केवल शिक्षकों की नहीं शासन-प्रशासन की चूक को भी उजागर किया है।

क्या अब होगी जवाबदेही तय?

शिक्षा विभाग को अब यह भी तय करना होगा कि ऐसे शिक्षक जो सालों से सेवा से ज्यादा सिफारिश पर डटे रहे, उन पर क्या कार्रवाई होगी, और क्या भविष्य में ट्रांसफर, अटैचमेंट और पदस्थापना में पारदर्शिता लाई जाएगी? या एक बार फिर यह 'आंधी' गुजरने के बाद 'सिस्टम' पुराने ढर्रे पर लौट आएगा?

युक्तियुक्तकरण ने महासमुंद जिले में शिक्षा की नींव में लगी दीमकों को उजागर किया है। वर्षों से संलग्नीकरण करा कर बैठे शिक्षकों के ऊपर क्या जिला प्रशासन की गाज गिरेगी या सब ठंडे बस्ते में चला जायेगा?

ये केवल महासमुंद जिला की बात नहीं है अगर गरियाबंद जिला की बात करें तो महासमुंद से ज्यादा शिक्षक संलग्नीकरण करा के बैठे हैं। कुछ महानुभाव शिक्षक तो नियम विरुद्ध डी.ई.ओ. एवं समग्र शिक्षा अधिकारी बने बैठे हैं।

गरियाबंद युक्तियुक्तकरण महाघोटाला

कहीं मतावले 'बलि का बकरा' तो नहीं?

छुरा के बीईओ की गलती पर बवाल क्या साजिश की स्ट्रिकट ऊपरसे लिखी गई?
डीईओ गरियाबंद क्यों अब तक सुरक्षित? युक्तियुक्तकरण घोटाले का बड़ा खुलासा!

[अश्वनी सोनी]

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में शिक्षा विभाग का एक और घोटाला सामने आया है, जिसमें शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर योजनाबद्ध अव्यवस्था, पक्षपात और शासन को गुमनाह करने का नुस्खे चलाया हुआ है। इस नवबन से गरियाबंद की शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को ढिला के नव दिया है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो अव्यवस्था फैली हुई है, वह केवल प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि एक अनियोजित प्रशासनिक अपराध की तरह सामने आ रही है। इस पूरे मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) छुरा, के.एल. मतावले के निवलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पर बड़ा बवाल यह उठता है, क्या सिर्फ मतावले ही दोषी है या फिर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ए.के. आनन्दवत गरियाबंद की भूमिका पर भी बवाल उठने चाहिए?

युक्तियुक्तकरण या अयुक्तियुक्तकरण?

छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया, जिसमें शिक्षकों की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर तैनाती सुनिश्चित की जानी थी, एक घोटाले का रूप ले चुकी है। विकासखंड छुरा में इस प्रक्रिया को जिस लापरवाही और धूर्तता से अंजाम दिया गया वह केवल एक अधिकारी की गलती नहीं मानी जा सकती!

गरियाबंद छुरा के बी.ई.ओ. के.एल. मतावले पर आरोप है कि उन्होंने अतिशेष शिक्षकों की सूची में जानबूझकर वरिष्ठता का उल्लंघन किया, अतिथि शिक्षकों की गिनती में गलत जानकारी दी और स्कूलों की वास्तविक स्थिति को छिपाकर जिला स्तरीय समिति को भ्रमित किया। नतीजा- शिक्षकों में भ्रम, अव्यवस्था और शासन की छवि को गहरा धक्का।

'सिर्फ बीईओ नहीं, डीईओ भी जवाबदेह'

गरियाबंद में अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या इतनी बड़ी अनियमितता को जिला शिक्षा अधिकारी की जानकारी के बिना अंजाम दिया जा सकता था?

- क्या जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. सारस्वत गरियाबंद इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे?
- यदि हाँ, तो यह उनकी प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है।



- यदि नहीं, तो यह उनकी मौन सहमति या मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

डी.ई.ओ. की भूमिका क्यों संदिग्ध?

लेकिन क्या इतना बड़ा घोटाला अकेले एक बी.ई.ओ. की करतूत हो सकती है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) गरियाबंद इस सारे घटनाक्रम से बेखबर थे?

- डी.ई.ओ. ही जिला युक्तियुक्तकरण समिति के अध्यक्ष होते हैं।
- हर प्रस्तावित बदलाव उन्हीं की अनुमति और हस्ताक्षर से अमल में लाया जाता है।
- स्कूलों के डाटा, शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता का फाइनल सत्यापन उन्हीं के जिम्मे होता है।
- ऐसे में यदि डी.ई.ओ. ने अनदेखी की तो यह उनकी अक्षमता है।
- और यदि सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे तो यह उनकी सहमति या मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

काउंसिलिंग या प्रहसन

गरियाबंद जिले भर में काउंसिलिंग प्रक्रिया का जो हाल रहा, वह 'प्रक्रिया' कम और 'तमाशा' ज्यादा लगा।

किसे बचा रही है गरियाबंद जिला टीम?

जब शिक्षकों ने खुलकर इन गड़बड़ियों की शिकायत की, दस्तावेजों के प्रमाण

दिए तब भी जिला स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। काउंसिलिंग टीम जो कि डी.ई.ओ. की निगरानी में काम करती है, ने शिकायतों को या तो दरकिनार किया या बहाना बनाकर टाल दिया।

जिला स्तरीय व्यक्तिगतकरण समिति के अध्यक्ष के तौर पर डी.ई.ओ. की जिम्मेदारी बनती है कि प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करे, उनके सत्यापन के बाद ही काउंसिलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाए, लेकिन जब शिक्षक खुद सामने आकर जिला समिति को गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि डी.ई.ओ. ने या तो प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया या उन्होंने जानबूझकर आँखें मूंद लीं।

‘काउंसिलिंग बनी तमाशा : शिक्षा व्यवस्था पर कलंक’ छुरा के विभिन्न स्कूलों से मिले उदाहरण चौंकाने वाले हैं –

- प्राथमिक शाला टिकरापारा व सतनामीपारा केस में वरिष्ठता को दरकिनार कर वरिष्ठ शिक्षक को व्यक्तिगत किया गया।
- माध्यमिक शाला सांकरा में पाँच शिक्षक होने शेष पृष्ठ 2 पर... के बावजूद उन्हें ‘अतिशेष’ नहीं माना गया।
- सेम्हरा, घटकरा और पंक्तिता जैसे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की गिनती में भी भारी गड़बड़ी पाई गई।
- हायर सेकेंडरी विद्यालय पेण्ड्रा में संचालित वाणिज्य संकाय को नकारते हुए वहाँ कार्यरत व्याख्याता को अतिशेष घोषित किया गया।
- यह सारी त्रुटियाँ सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी प्रशासनिक साजिश की बू देती हैं।

शासन की मंशा को ठेगा

छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि हर शिक्षक अपने कार्यस्थल पर न्याय के साथ पदस्थ हो। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लेकिन छुरा जैसे ब्लॉक में जिस तरह से शिक्षकों के साथ खिलवाड़ हुआ है, वह सरकार की मंशा को नकारने के बराबर है। शिक्षकों को ‘गिनती की वस्तु’ वस्तु बना दिया गया है, जिनकी प्रतिष्ठा और भविष्य अधिकारियों के मनमाने निर्णय पर टिका है।

जवाब दो डी.ई.ओ. साहब!

गरियाबंद जिला में जब व्यक्तिगतकरण की समूची रूपरेखा बी.ई.ओ. से लेकर डी.ई.ओ. तक की निगरानी में बनती है, तो केवल बी.ई.ओ. को दोषी मानना पूरी व्यवस्था के साथ अन्याय है। क्या डी.ई.ओ. की कोई जवाबदेही नहीं है?

- क्या डी.ई.ओ. गरियाबंद ने कभी दस्तावेजों का सत्यापन किया?
- क्या उन्होंने शिक्षकों के प्रत्यक्ष विरोध और शिकायतों को गंभीरता से लिया?
- क्या काउंसिलिंग की अव्यवस्था में उनकी भूमिका की कोई समीक्षा की गई?

यदि इन सभी सवालों का जवाब ‘नहीं’ है तो जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद भी इस घोटाले के भागीदार हैं। और यदि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधी तो यह और भी गंभीर मामला बनता है।

बलि का बकरा मतावले, असली सूत्रधार कौन?

ऐसे अनेक प्रशासनिक मामलों में देखा गया है कि जब ऊपरी स्तर की लापरवाही को छिपाना होता है, तब निचले स्तर के अधिकारी को ‘बलि का बकरा’ बना दिया जाता है। क्या इस बार भी वही हो रहा है?

यदि मतावले ने जानबूझकर गलत जानकारी दी तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन यदि जिला स्तरीय समिति और डी.ई.ओ. की मौन स्वीकृति या सहमति इस प्रक्रिया में शामिल रही है तो अकेले मतावले को सजा देना न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक ड्रामा बन जाएगा।

गाँव : उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित हो!

इस पूरे मामले में अब जरूरत है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जाँच की। केवल मतावले को सस्पेंड कर देना इस सिस्टम की सड़न को नहीं रोक सकता। जिले के शीर्ष अधिकारियों से लेकर व्यक्तिगतकरण समिति के प्रत्येक सदस्य की भूमिका की समीक्षा आवश्यक है।

‘यदि प्रशासन शिक्षा को राजनीति की तरह चलाएगा, तो स्कूल भी सत्ता की मंडी बन जाएंगे’ अब समय है कार्यवाही का— केवल मतावले पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर।

कार्यालय कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

क्रमांक / 3 859/स्था./व्यक्तिगतकरण/2025 गरियाबंद, दिनांक 06/06/2025

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर छ.ग.

विषय :- श्री के.एल.मतावले, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ:- छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन, नवा रायपुर, दिनांक 28.04.2025

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है, कि छ.ग. शासन के संदर्भित पत्र क्र. एफ 2-24/2024/20-तीन, नवा रायपुर दिनांक 28.04.2025 के निर्देशानुसार जिला स्तरीय व्यक्तिगतकरण समिति, जिला गरियाबंद द्वारा शिक्षकों का व्यक्तिगतकरण निर्धारित तिथि 01 जून 2025 से 3 जून 2025 में करने हेतु नियत किया गया था। जिसके पूर्व ही शालाओं के व्यक्तिगतकरण के समस्त प्रपत्र सभी विकासखण्ड से प्राप्त हो गए थे, जिसमें विकासखण्ड अधिकारी शिक्षा छुरा द्वारा मनमाने ढंग से परिशिष्ट 5 (ब) में अधिक दूरी वाली शाला का नाम चलेख कर विलोपन हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा संशोधन कर संयुक्त संचालक, शिक्षा सभाग रायपुर एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत किया गया। उत्पश्चात शिक्षकों की दर्ज संख्या एवं निर्धारित सेटअप के अनुसार अतिशेष शिक्षकों के व्यक्तिगतकरण हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा के द्वारा 15 मई 2025 तक चिन्हांकित किया जाना था और 20 मई 2025 तक अतिशेष शिक्षकों एवं रिक्त पदों की सूची जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जाना था जिसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा द्वारा विलंब से 30 मई 2025 को प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त सूची के परीक्षण में यह पाया गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा के द्वारा शिक्षकों के परस्पर वरिष्ठता क्रम को छुपाते हुए सूची का निर्माण किया गया, साथ ही हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक एवं नियमित व्याख्याता की गणना करते अतिथि शिक्षकों की मूल कार्यरत संस्था का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके कारण 01 जून 2025 से काउंसिलिंग की प्रक्रिया के दौरान निम्नांकित अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई :-

1. प्राथमिक शाला टिकरापारा रानीपरतेवा तथा प्राथमिक शाला सतनामीपारा रानीपरतेवा का व्यक्तिगतकरण होने के कारण श्रीमती कुंज दीवान, प्रधानपाठक एवं श्रीमती राधिका साहू, प्रधानपाठक के बीच कनिष्ठ अतिशेष की गणना की जानी थी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा द्वारा श्रीमती कुंज दीवान प्रधान पाठक को कनिष्ठ बताते हुए अतिशेष की श्रेणी में चिन्हांकित कर काउंसिलिंग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

केशकाल की पहाड़ियों पर विकास का सुपर हाईवे



डबल इंजन सरकार में बदल रहा है बस्तर, अब विकास की गूँज घाटियों में भी सुनाई देगी : साय

[अश्वनी सोनी]

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में विकास की एक और ऐतिहासिक पटकथा लिखी जा रही है। यह पटकथा अड़कों पर बिछेगी और केशकाल की घाटियों से गुजरती हुई देश-दुनिया को यह बताएगी कि बस्तर अब पिछड़ा नहीं, उभरता हुआ क्षेत्र है। केन्द्रीय अड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 307.96 करोड़ रुपये की लागत से 11.38 किलोमीटर लंबा लेन वाला केशकाल बाईपास बनाने की स्वीकृति दी गई है। वह बाईपास पेव्ड शोल्डर मानक के अनुरूप होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया एनएच-30) के केशकाल घाट बंद को सुगम, सुसज्जित और निर्बाध बनाएगा।

इस अभूतपूर्व घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर्ष जताते हुए इसे 'बस्तर की विकास यात्रा का निर्णायक मोड़' करार दिया।

घाट से गुजरती नई राह, अब नहीं थमेगा बस्तर

केशकाल घाट, जो अब तक ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और कठिन चढ़ाई का पर्याय बन चुका था, अब राहत की सांस ले रहा है। यहाँ अब एक ऐसा बाईपास बनेगा जो आधुनिक इंजीनियरिंग की मिसाल होगा। बाईपास के निर्माण से जहाँ एक ओर वाहनों की लंबी कतारें खत्म होगी, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों पर यातायात का दबाव भी कम होगा।

यह मार्ग उन व्यापारियों, सैलानियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए भी वरदान साबित होगा, जो वर्षों से इस घाट के मुहाने पर फंसे हुए हैं।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी का दृष्टि बना उम्मीद की रोशनी





जब नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल से केशकाल बाईपास की स्वीकृति की जानकारी साझा की तो बस्तर के लोगों की आँखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। उन्होंने लिखा- 'छत्तीसगढ़ के कोंडागाँव जिले में एनएच-43 (नया एनएच-30) पर केशकाल घाट खंड में 11.38 किलोमीटर लंबे 4-लेन बाईपास निर्माण को 307.96 करोड़ की लागत से स्वीकृति दी गई है।' यह सूचना न केवल एक परियोजना की घोषणा थी, बल्कि यह बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने का उद्घोष था।

मुख्यमंत्री साय बोले- 'विकास अब केवल वादा नहीं, सच्चाई है!'



'डबल इंजन सरकार में बस्तर अब तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। यह बाईपास परियोजना बस्तर को अवरोधों से मुक्त कर विकास के राजमार्ग पर अग्रसर करेगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह परियोजना जनजातीय अंचलों को राष्ट्रीय आर्थिक धारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी।

बस्तर का पर्यावरण भी बोलेंगा- 'थैंक-यू'

बस्तर केशकाल बाईपास बनने से केवल यातायात ही नहीं सुधरेगा, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी दिखेगा। अब शहरी क्षेत्रों में वाहन कम चलेंगे, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों में गिरावट आएगी। हरित आवरण को भी कम नुकसान होगा, क्योंकि ट्रैफिक का भार सीधे घाटी में स्थानांतरित होगा।

परियोजना की खास बातें-

- परियोजना नाम केशकाल बाईपास
- लंबाई 11.38 किलोमीटर
- लागत 307.96 करोड़ रुपए

- मनक पेव्ड शोल्टर, 4 लेन
- स्थान एनएच-43 (एनएच-30), केशकाल घाट, कोंडागाँव जिला।
- लक्ष्य सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना

यात्रा का समय घटेगा, दुर्घटनाएं कम होंगी

केशकाल बाईपास से यात्रियों का कीमती समय बचेगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। अब तक जो ट्रक और भारी वाहन केशकाल घाट की तीखी चढ़ाई और संकरी सड़कों से गुजरते थे, वे अब आरामदायक मार्ग से सीधे निकल सकेंगे।

परियोजना में सेप्टी गार्डरेल्स, साइनबोर्ड, लाइटिंग और ईको-फ्रेंडली डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर

केशकाल में निर्माण कार्य के दौरान हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल बस्तर के युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप, मैकेनिक वर्गशॉप जैसी सहायक सेवाओं में भी वृद्धि की संभावना है।

विपक्ष मौन! विकास पर कोई सवाल नहीं

जहाँ एक ओर इस परियोजना पर सरकार की सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष खामोश है। अब तक बस्तर की उपेक्षा के आरोप लगाने वाले दलों के पास शायद इस बार कुछ कहने को नहीं बचा। बस्तर की जनता समझ चुकी है कि 'अब काम बोलता है, वादे नहीं।'।

बस्तर अब वीरगाथाओं और संघर्षों का प्रतीक भर नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार पर दौड़ता हुआ भविष्य है।

केशकाल बाईपास केवल एक सड़क नहीं है, यह बस्तर के लिए एक नई पहचान, एक नई दिशा और एक नया विश्वास है। या यूँ कहें तो बस्तर का नया लाईफ लाइन है।

डबल इंजन सरकार के इस फैसले ने साबित कर दिया है- 'बस्तर अब रुकने वाला नहीं, दौड़ने वाला है।'।

पुलिस है पर नहीं है उसका कोई डर

राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस है, यथार्थ है लेकिन कई बार आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि राज्य के लोगों को लगता है कि राज्य में पुलिस है ही नहीं, पुलिस का गुंडा, बदमाशों, माफिया में कोई डर ही नहीं है। कहीं पर नेत माफिया लोगों को डराने के लिए गोली चलाता है तो पता चलता है कि उनको बचाने का काम पुलिस कर रही है। माफिया को बचाने का काम पुलिस करनेगी तो माफिया पुलिस से डरेगा क्या। पुलिस उनके पीछे बचाने के लिए रुकी रहती तो वह गोली बेवकूफ क्यों नहीं चलाएगा। कहीं पर माफिया किसी युवक को फिल्मी स्टाइल में रुबे से बांधकर पीटता रहता है और पुलिस को कोई फोन तक करने की हिम्मत नहीं करता है। राजधानी के रेलवे स्टेशन पार्किंग में बदमाश पार्किंग मैनेजर को चाकू से ठमला करके, पैसे लूटकर भाग जाते हैं। यह आनी घटनाएं लोगों को डराने वाली हैं कि बदमाश किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं।

पुलिस का काम ऐसी ही घटनाओं को रोकना होना चाहिए, पुलिस ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाती है। इससे पुलिस पर से जनता का भरोसा कम होता जाता है। राजधानी में चाकूबाजी रोकने के लिए पुलिस पिछले कई साल से क्या कुछ नहीं कर चुकी है लेकिन चाकूबाजी राजधानी में ही आए दिन होती रहती है। पुलिस के आलाअफसर ऐसे में थानेदारों पर नाराजगी जाहिर करके चुप हो जाते हैं।

राजधानी के कबीरनगर, रेलवे स्टेशन, विधानसभा इलाके में हिस्ट्रीशीटर व बदमाशों द्वारा सरेआम चाकूबाजी करने पर आईजी अमरेश मिश्रा, एसएसपी लाल उमेश सिंह ने नाराजगी जताई है और टीआई, सीएसपी को पुलिसिंग में कसावट लाने को कहा है। वे भी कभी टीआई, सीएसपी थे इसलिए उनको मालूम है कि चाकूबाजी जैसी घटनाएं तब ही होती हैं जब थाना प्रभारियों की इलाके में पकड़ नहीं होती है। गुंडे बदमाशों की कोई मानिट्रिंग नहीं होती है। अफसर डांट सकते हैं सो दोनो आलाअफसरों ने साफ कह दिया है कि अब ठीक से काम करने वाला टीआई, एसआई, हवलदार और सिपाही हटाए जाएंगे। ठीक से सुपरविजन करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

आईजी व एसएसपी ने सच कहा है कि शहर में अगर बेसिक पुलिसिंग ठीक से होगी तो शहर में अपराध कम होंगे। यही पैमाना मान लिया जाए तो कोई भी कह सकता है कि शहर में बेसिक पुलिसिंग ठीक से नहीं हो रही है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों में पुलिस को कोई डर नहीं है, इसलिए अपराधी कहीं पर गोली चलाकर डर रहे हैं तो कहीं किसी युवक को मुखबिरी के शक में खंबे से बांधकर पीटते हैं इस तरह की घटना पर तो पुलिस को तुरंत मौके पर

पहुंचना चाहिए और खुले आम कानून तोड़ने वालों को बताना चाहिए कि शहर में अभी पुलिस है, कोई भी किसी को इस तरह खंबे से बांधकर किसी को पीट नहीं सकता।

जनता कहीं भी अपराध हो तो पुलिस को उसकी जानकारी दे सकती है लेकिन देती नहीं है, इससे भी गुंडों बदमाशों का हौसला बढ़ा रहता है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं पर कोई दबंग किसी को खुलेआम पीट रहा है तो किसी भी आदमी ने उसकी सूचना तत्काल पुलिस को क्यों नहीं दी। आजकल तो ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, कोई भी पुलिस को फोन कर बता सकता है कि फलानी जगह अपराध हो रहा है। पुलिस को लोग सूचना नहीं देते हैं क्योंकि पुलिस भी गुंडा बदमाशों से मिली हुई होती है, वह बता देती है कि सूचना किसने दी है। गुंडा बदमाश सूचना देने वाले की पिटाई करने उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पुलिस अलग गवाही देने के लिए परेशान करती है। खपरीडीह गांव में जिस युवक को दबंग ने खंबे से बांधकर पीटा, उसको किसी ने बता दिया होगा कि यह युवक खनिज विभाग को उनके गलत काम की सूचना देता है। पुलिस को किसी भी बात की सूचना देने का मतलब जब आ बैल मुझे मार जैसा है तो कौन पुलिस को सूचना देगा। यही वजह है कि पुलिस हमेशा सबकुछ हो जाने के बाद पहुंचती है। वह अपराध रोक नहीं पाती है, वह अपराध होने के बाद सब कुछ करती है। सीधी सी बात है कि पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत नहीं है, यही वजह है कि उसे होते अपराध की सूचना मिलती नहीं है। अपराध होने के बाद सूचना मिलती है और इसके लिए खुद पुलिस दोषी है।

छग में बेखौफ हैं रेत माफिया

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। यहां एक युवक को खनन अधिकारी के लिए मुखबिरी करने के आरोप में पीटा गया है।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई है। आरोपियों ने युवक पर खनन अधिकारियों का मुखबिर होने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जिन लोगों ने पिटाई की है वह अवैध रेत खनन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। युवक की पिटाई की बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में चार आरोपियों को अरेस्ट



झड़वर को बांधकर पीटा खनन अधिकारी की मुखबिरी करने का आरोप

किया गया है।

वायरल हुआ था वीडियो

मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जिसमें पीड़ित परमेश्वर साहू के हाथ बंधे हुए हैं और उसे बेल्ट और डंडे से पीटा जा रहा है। इसके बाद गया पटेल, दिलहरण वर्मा, केवल केवट, यशवंत पटेल, आनंद दास और दिग्विजय वैष्णव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

खनन कार्य में लगे हैं आरोपी

अधिकारी ने बताया, “आरोपी खनन कार्य में लगे हैं, जबकि परमेश्वर साहू पेशे से ड्राइवर है। घटना 12 जून को हुई। परमेश्वर साहू गिधौरी थाना क्षेत्र के खपरीडीह गांव में एक स्थानीय व्यापारी से बजरी खरीदने गया था। इसी दौरान आरोपी यशवंत पटेल और केवल केवट ने परमेश्वर साहू को गांव के गुढ़ी चौक पर रोका और चार अन्य लोगों के साथ मिलकर उसपर हमला कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने खनन अधिकारियों को ऐसी जानकारी दी है जिसके कारण हाल ही में उनके बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त किए गए।”

‘रावण भी शर्मा जाए’ ऐसी गुंडा गिर्दी देखने मिली लैलूंगा के संस्कृत कन्या विद्यालय में

संस्कृति के नाम पर गुंडई, महिला प्राचार्य को धमकाया, बेटियों की शिक्षा संकट में



नायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील में अब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, आज छत्तीसगढ़ कीबेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की नीति को तमाचा मानती एक शर्मनाक घटना ने संस्कृति और शिक्षा दोनों की चूलें ढिला दी हैं। तुलानाम आर्य कन्या संस्कृत आवासीय विद्यालय, जो बेटियों की शिक्षा का मंदिर माना जाता है, वहाँ एक ऐसी दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर रावण भी शर्मा जाए।

गुंडों ने स्कूल को बना दिया अखाड़ा!

पूर्व सभा प्रधान और छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा से निष्कासित अंशुदेव आर्य, अपने पांच गुणों पंकज भोय, राधे पटेल, सम्राट महंत और दो अज्ञात साथियों को लेकर विद्यालय के भीतर बिना अनुमति घुस आया और सीधे प्राचार्य कक्ष में बैठकर कब्जा कर लिया। जब महिला प्राचार्य ज्योति सतपथी ने आपत्ति जताई तो भाषा और व्यवहार ऐसा हुआ कि गुंडाराज भी शर्म से सिर झुका ले।

‘तुमलोग कुछ नहीं हो, चुपचाप निकलो नहीं तो मारकर फेंकवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा’— यही धमकी दी गई एक महिला प्राचार्य को, स्कूल परिसर के भीतर।

शिक्षा का मंदिर या राजनीति की मंडी!

इस घटना से साफ हो गया कि कुछ लोग आश्रम शिक्षा संस्थाओं को अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत वर्चस्व की बपौती समझ बैठे हैं। यह वही अंशुदेव है जिसके खिलाफ 21 अक्टूबर 2024 को भी शिकायत दर्ज हुई थी। मगर न तब प्रशासन जागा, न शिक्षा विभाग। अब फिर वही चेहरा, वही गुंडई और इस बार स्कूल की गरिमा तार-तार।

महिलाएं डरी नहीं, डटकर खड़ी हुईं

जब घटना हुई, उस वक्त प्राचार्य के साथ टिकेश्वरी बेहरा, प्रेमानंद आर्य, शांता तिग्गा, रम्भा आर्या जैसे कर्मचारी भी मौजूद थे। उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, मगर गुंडे धमकी देते हुए बोले— ‘तुम सब यहां से भागो, वरना उठाकर बाहर कर देंगे... देख लेंगे किसने क्या किया।’

क्या लैलूंगा बना है ‘गुंडा संरक्षण क्षेत्र?’ इस एफआईआर में दर्ज धाराएं केवल कानून की किताबों की शोभा बनकर रह जाएंगी, अगर लैलूंगा पुलिस और रायगढ़ प्रशासन अब भी नींद में रहे।

धारा 296, धारा 3(5), 331(5), 351(2) इन धाराओं के बावजूद यदि आरोपी खुले घूम रहे हैं, तो यह सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, व्यवस्था की साजिश है।

और सबसे खतरनाक बात...

विद्यालय में इस समय 2025 की पूरक परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। अगर ऐसे माहौल में छात्राएं परीक्षा नहीं दे सकीं, तो उनकी जिंदगी अंधेरे में धकेलने का दोष किसका होगा?

उत्तर साफ है— अंशुदेव और उसके गिरोह का, और उससे भी बड़ा दोषी वो सिस्टम जो बार-बार आंखें मूंद लेता है।

एक अपील, एक सवाल

प्राचार्य, स्कूल स्टाफ और छात्राओं की ओर से सीधा सवाल—

* क्या शिक्षा का मंदिर भी अब गुंडों के लिए ‘खुला मंच’ बन चुका है?

* कब होगी इन अपराधियों की गिरफ्तारी?

* कब मिलेगा कन्या विद्यालय को भयमुक्त माहौल?

'शिक्षा की पवित्रता पर चोट, शिक्षा की गरिमा को किया शर्मसार'

प्रधानपाठक सस्पेंड—विद्यालय में मदिरा पान का सनसनीखेज मामला

बालोद छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को शर्मनाक बन देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बालोद जिले के डौंडी विकासखंड अंतर्गत शान्मकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक अनजुन ठाकुर को स्कूल पत्रिका में शराब का सेवन करते वंछे छथो पकड़ा गया है। यह घटना न केवल बच्चों की शिक्षा और अनुशासन के साथ एक गंभीर निवलवाड़ है, बल्कि गुरु-शिष्य की पवित्र परंपरा पर भी गहना धब्बा है।

प्रधानपाठक का नशे में धुत चेहरा उजागर

बालोद जिला का विद्यालय बना शराबखाना, शिक्षा विभाग द्वारा इस शर्मनाक कृत्य की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी पी.सी. मरकले ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना देर किए प्रधानपाठक ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय विभागीय गरिमा और सार्वजनिक आचरण की रक्षा के लिए लिया गया, जिससे स्पष्ट संदेश जाए कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दिनांक 24 जून 2025 को जब विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी, तभी कुछ ग्रामीणों ने देखा कि विद्यालय परिसर से शराब जैसी गंध आ रही है। उन्होंने जब कक्ष की ओर झांका, तो दंग रह गए—प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर, जो बच्चों के भविष्य को संवारने का दायित्व लिए बैठे थे, खुद शराब के नशे में मदहोश पाए गए। न सिर्फ शराब को स्प्राइट की बोतल में भर कर टेबल पर रखे थे, स्कूल में बच्चों की कक्षा की मर्यादा को तार-तार करता यह दृश्य मानो शिक्षा की आत्मा पर कुठाराघात था।

जांच में क्या पाया गया?

मामले की सूचना मिलते ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी ने तुरंत विद्यालय का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट तैयार की। जांच में पाया गया कि सरजूराम ठाकुर का आचरण न केवल घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है, बल्कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

यह व्यवहार शिक्षक जैसे गरिमामय पद की गरिमा को कलंकित करने वाला है और इसे विभाग ने 'गंभीर कदाचार' की श्रेणी में रखा। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत यह निलंबन आदेश जारी किया गया।

निलंबन की शर्तें और प्रभाव

- प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर निलंबित किया गया है।
- निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी, जिला बालोद निर्धारित किया गया है।
- इस अवधि में वे केवल जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य में संलग्न नहीं रहेंगे।

शिक्षा विभाग सख्त—'शून्य सहिष्णुता' नीति पर अमल

बालोद जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि

विद्यालय को नैतिकता, अनुशासन और मूल्य शिक्षा का मंदिर माना जाता है। यहां यदि शिक्षक ही मर्यादा को तोड़ें, तो भविष्य अधर में लटक जाता है। इसीलिए विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किया है।

जिला शिक्षा अधिकारी पी.सी. मरकले ने कहा— 'शिक्षकों से समाज की उम्मीदें सबसे ऊँची होती हैं। बच्चों का चरित्र निर्माण जिनके हाथ में हो, वे यदि खुद नैतिकता से भटक जाएं, तो माफ करना संभव नहीं। यह विभागीय और सामाजिक अपराध है।'

अभिभावकों में आक्रोश, ग्रामीणों की मांग—पद से बर्खास्त हो आरोपी शिक्षक

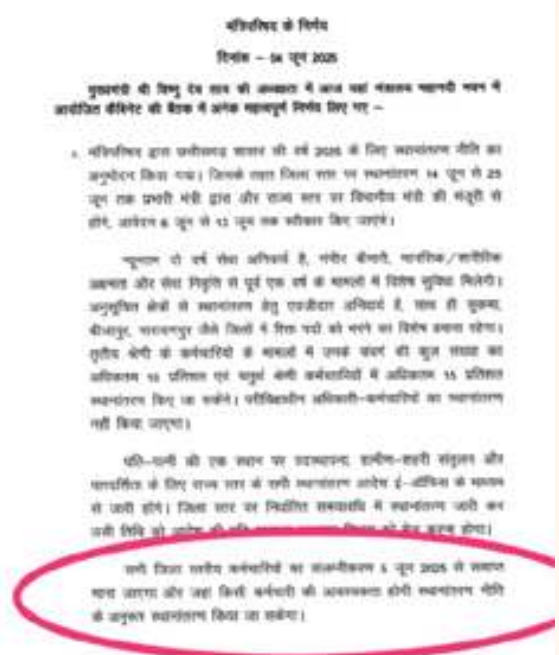
इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चिपरा गांव के सरपंच और पालक समिति के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि ऐसे शिक्षकों को सिर्फ निलंबन नहीं, बल्कि नौकरी से बर्खास्त किया जाए ताकि आने वाले समय में कोई शिक्षक इस तरह की गलती करने से पहले सौ बार सोचे।

यह मामला महज एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है, जहां 'गुरु' जैसे पवित्र पद पर बैठा व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारियों को शराब की बोतल में डुबो रहा है।

अब देखना यह होगा कि विभागीय जांच के बाद प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर के खिलाफ क्या अंतिम निर्णय लिया जाता है, लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग ने यह संकेत दे दिया है कि शिक्षा के मंदिर को अपवित्र करने वालों को अब कोई बख्शोगा नहीं।



आदेशों की उड़ रही धजियाँ !



सहायक ग्रेड-3 चंद्रहास साहू का संलगनीकरण बना शिक्षा विभाग की नाक का सवाल !

छत्तीसगढ़ में शासन के स्पष्ट निर्देश और शिकायतों की बौखान के बावजूद महासमूह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेशों की अनदेखी का एक बड़ा मामला सामने आया है। कोमानवान तहसील में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 चंद्रहास साहू, जिनका मूल पदस्थापन शासकीय लार्ड स्कूल घोंचापाली में है, लंबे समय से जारी संलगनीकरण अब शिक्षा विभाग की आंख पर सवाल खड़े कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, चंद्रहास साहू के खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं, जिनमें संलगनीकरण की अवधि समाप्त होने और कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप शामिल हैं। बावजूद इसके, जिला शिक्षा अधिकारी महासमूह इन शिकायतों को या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या किसी दबाव में संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस संबंध में लिखित शिकायत स्वयं जिला कलेक्टर महासमूह के पास पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह विभागीय आदेशों की अवहेलना है या फिर किसी ऊंचे संरक्षण की छत्रछाया में यह सबकुछ हो रहा है?

संलगनीकरण या मनमानी नियुक्ति, कैबिनेट के फैसले को चुनौती देते जिला शिक्षा अधिकारी

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक 2025 कांडिका 1.5 में स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त प्रकार के संलग्न कारण समाप्त माना जाएगा कोई भी कर्मचारी एक निर्धारित समय से अधिक अवधि तक संलग्न नहीं रह सकता, विशेषतः जब उसका मूल पदस्थापन स्थान अलग हो। लेकिन चंद्रहास साहू का मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोमाखान में उनकी स्थायी नियुक्ति हो गई हो। इससे यह स्पष्ट होता कि जिला शिक्षा अधिकारी महासमूह द्वारा राज्य सरकार के फैसले को अंगूठा दिखाने का कार्य किया जा रहा है।

स्थानीय सूत्रों की मानें तो चंद्रहास साहू के खिलाफ कार्य में लापरवाही, दस्तावेजों में गड़बड़ी, कार्यालय के गोपनीय दस्तावेजों बाहर फैलाना, किसानों की कामों को रोककर रखना और अनुशासनहीनता के आरोप पहले भी लगाए गए हैं, चंद्रहास साहू द्वारा किसानों के कामों को रोककर पटवारियों की मिलीभगत से दलालों के कामों को पहले किए जाते हैं फिर भी उसके खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ में महासमूह के कोमाखान तहसील के अंतर्गत बड़े दलालों और पटवारियों के मिलीभगत से बड़े पैमाने में सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है राजस्व विभाग को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

शिकायतकर्ता बोले- ये खुलेआम प्रशासनिक मज्जाक है, इस पूरे मामले पर घोंचापाली स्कूल के एक शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा— हमने बार-बार जिला शिक्षा अधिकारी और जिस विभाग में गया है उसके

उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि मूल पदस्थापना पर वापसी कराई जाए, लेकिन लगता है आदेश सिर्फ कागजों में चलते हैं। शासन प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नियम किसके लिए हैं? आम कर्मचारी के लिए या चहेते अधिकारियों के लिए!

शासन के आदेश पर भी क्यों चुप है जिला शिक्षा अधिकारी?

महासमुन्द जिला यह सवाल अब जिले भर में चर्चा का विषय बन चुका है। जब जिले का सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी ही शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहा हो, तो फिर अन्य अधीनस्थों से क्या उम्मीद की जा सकती है? सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन देने के बाद उम्मीद जगी थी कि जल्द संलग्नीकरण समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और चंद्रहास साहू को जैसे- अदृश्य कवच मिला हुआ हो।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही जरूरी

महासमुन्द जिला के कोमाखान तहसील का यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी के संलग्नीकरण का नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे विभागीय आदेशों की अवहेलना कर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यह लोकतंत्र में जवाबदेही की रीढ़ को तोड़ने जैसा है। यदि जिला प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह मामला अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक गलत उदाहरण पेश करेगा और विभागीय अनुशासन पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी की तानाशाही

जब पत्रकार उनसे जवाब मांगने गए तो उनके द्वारा बताया गया मुझे समय नहीं है मैं बाद में मिलूंगा और कहकर टाल दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।

अब क्या करें अधिकारी?

- * जांच समिति गठित कर संलग्नीकरण की वैधता की समीक्षा की जानी चाहिए।
 - * यदि शिकायतें सही पाई जाए, तो तत्काल मूल पद पर वापस भेजा जाए।
 - * जिला शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाए कि क्यों उन्होंने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया।
 - * यदि जानबूझकर लापरवाही सिद्ध होती है, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
- जनता देख रही है-** महासमुंद के शिक्षा विभाग में हो रही यह अनियमितता अब सिर्फ एक विभागीय मामला नहीं रहा। यह जनता के विश्वास से जुड़ा प्रश्न बन चुका है।
- * क्या अब भी कार्रवाई नहीं होगी?
 - * क्या अब भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहेंगी?
 - * या फिर अब जिला प्रशासन और शासन इस आदेशहीनता के किले को तोड़ने का साहस दिखाएगा?

शिक्षक दिनेश प्रधान का 'गिरा सिंहासन', टूटी पदोन्नति की डोर!

महासमुन्द जिला शिक्षा अधिकारी के पास जैसे ही यह धांधली सामने आई, दिनेश कुमार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। लेकिन उनके लिखित जवाब को 'पूर्णतः असंतोषजनक' मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द ने 14 अक्टूबर 2022 को दी गई पदोन्नति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी।

अब दिनेश कुमार प्रधान, जो कभी प्रधान पाठक की कुर्सी पर बैठकर स्कूल की कमान संभाल रहे थे, फिर से अपने मूल पद सहायक शिक्षक (एल.बी.) पर वापस भेज दिये गये हैं।

कुर्सी की हवस और शिक्षा व्यवस्था पर कलंक

यह प्रकरण केवल दिनेश कुमार प्रधान की कहानी नहीं है। यह पूरे शिक्षा तंत्र में जड़े भ्रष्टाचार, लालच और फर्जीबाड़े की दीमक को उजागर करता है। एक शिक्षक, जो बच्चों को सच्चाई और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जब स्वयं फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पदोन्नति हासिल करता है, तो यह पूरे तंत्र को अपवित्र करता है।

विकासखण्ड पिथौरा के अन्य शिक्षकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि —

'धांधली'

‘यदि फर्जी आदेश से कोई आगे बढ़ेगा, तो मेहनत करने वाले शिक्षक कहा जायेंगे?’

शिक्षक दिनेश प्रधान का अब क्या होगा आगे?

सूत्रों के अनुसार, यह केवल शुरुआत है। जांच में जो अन्य नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी।

समाज का सवाल-

क्या अब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी?

दिनेश कुमार प्रधान जैसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक केवल किताबों से नहीं, अपने आचरण से भी विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। जब शिक्षक ही पथभ्रष्ट हो जाएं, तो समाज की दिशा भी डगमगाती है। अब देखना यह है कि क्या इस नाटक का अंत यहीं होता है या और भी अध्याय सामने आएंगे?

‘सत्य की नींव पर बनी पदोन्नति ही स्थायी होती है, झूठ की ईंटें देर-सवेर ढह ही जाती हैं!’



सुशासन तिहार में छिपा घोटालों का जंगल!

कोरबा में केम्पा योजनाओं की लूट उजागर, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर टिके करोड़ों के निर्माण, जांच कब होगी?

[अब्दुल सलाम कादरी]

छत्तीसगढ़ में 'सुशासन तिहार' बीत गया, लेकिन कोरबा वन मंडल में 'घोटालों की गूंज' अब भी शांत नहीं हुई है। अनकानी कार्यक्रमों में 'पानदर्शिता और जवाबदेही' का ढोल पीटा गया, लेकिन जमीनी हकीकत ने इन पूरे आयोजन को एक नकली मुनवौटा आबित कर दिया। राज्य केम्पा मद से नववा विकास योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए जल संरचनाओं में न केवल भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और घोटाले की गंध इन ओर फैली हुई है। अब सवाल है, जब तिहार में शिकायत हो चुकी, तो क्या जांच होगी? या ये आवाज भी बाकी शोर में गुम हो जाएगी?

तीन जगह, तीन चेहरे... और कहानी एक घोटाले की!

ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं की पड़ताल से जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, वे न केवल योजना की साख पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि उन अफसरों और ठेकेदारों की नीयत पर भी जिनके हाथों में सरकारी धन की जिम्मेदारी थी।

1. जीरापानी नाला (कक्ष OA 1224, 1225, P 922-927) कागजों में

जलप्रबंधन, जमीन पर धोखा!

- स्वीकृत राशि: रुपये 1.64 करोड़
- स्वीकृत दिनांक: 25.11.2022 (क्रमांक 109, CEO CAMPA रायपुर)
- ब्रश वुड चेक डैम, लूज बोल्टर चेक डैम और कंटूर ट्रेच जैसे कार्य या तो अधूरे हैं या दिखाई ही नहीं दिए।
- नियमों के विपरीत तालाब खुदाई जेसीबी मशीन से
- निर्माण सामग्री में जंगल की रेत और घटिया गिट्टी गुणवत्ता की धज्जियाँ उड़ाई गईं।
- स्टॉप डैम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई — सब कुछ 'कम' में निपटा दिया गया।

2. बरदरहा नाला (कक्ष P 1153) कागजों पर तालाब, हकीकत में गड्ढा भी नहीं!



- स्वीकृत राशि: रुपए 16.68 लाख
- स्वीकृति दिनांक: 08.06.2021 (क्रमांक 94A)
- तालाब का गहरीकरण मशीन से जबकि नियम कहते हैं 'मैन्युअल'।
- न गहराई ठीक, न चौड़ाई और कई जल संरचनाएं तो पूरी तरह से 'गायब'।
- काम कागजों में दर्ज, जमीन पर 'कुछ नहीं'।

3. वीजाखर्ना नाला, हाथीमुड़ा (कक्ष P 1068) 54 लाख का स्टॉप डैम बना मज़ाक!

- स्वीकृत राशि: रुपए 54.11 लाख
- स्वीकृति दिनांक: 08.06.2021 (क्रमांक 94A)
- 50 लाख का स्टॉप डैम घटिया निर्माण का जीता-जागता उदाहरण।
- 21 लूज बोल्टर चेक डैम अधूरे या 'गायब'।
- गेबियन संरचना एक साल में ही टूट गई, सीमेंट, रॉ मटेरियल की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल।
- गुणवत्ता का हाल एक साल भी नहीं टिके 'कागजी किले'!

जिन संरचनाओं पर करोड़ों खर्च किए गए, वे एक साल भी नहीं टिक सकीं। ग्रामीणों ने बताया कि डैम की पपड़ी जगह-जगह से उखड़ चुकी है। कई जगह पानी रोकने की क्षमता खत्म हो गई है। इसका मतलब साफ है ढ़ निर्माण सामग्री में भारी स्तर पर गड़बड़ी की गई है। एक साल में ही उजागर हो गई घटिया इंजीनियरिंग की पोल।

ग्रामीण बोले 'काम तो सिर्फ कागजों में हुआ है!'

कोरबा के स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि आधे से अधिक कार्य कागजों में दिखाए गए हैं, जबकि हकीकत में जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामसभा की स्वीकृति भी कई जगह ली ही नहीं गई। इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है — क्या सरकार की आंखों के नीचे करोड़ों की लूट मूकदर्शक बनकर देखी गई?

सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगें

- उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच- preferably by Lokayukta या किसी न्यायिक समिति से।
- दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई अफसर हों या ठेकेदार, किसी को न बख्शा जाए।
- घटिया काम की राशि वसूली, दोषियों से वसूल हो सरकारी धन।
- सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया जाए, भविष्य की सभी परियोजनाओं में।

वन विभाग की चुप्पी 'जांच की तैयारी' या लीपापोती?

अब तक वन विभाग की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है। हालांकि खबर है कि यह मामला राज्य केम्पा मुख्यालय, रायपुर तक पहुंच गया है और 'प्रारंभिक जांच' की तैयारी चल रही है। मगर पहले भी ऐसी कई जांचें शुरू होकर बिना अंजाम के दफन हो चुकी हैं।

वया यह 'तिहार' से 'तिरस्कार' तक का सफर है?

जब सरकारें सुशासन का पर्व मनाती हैं, तो उम्मीद की जाती है कि वह जनता को जवाबदेह शासन देंगी। लेकिन कोरबा जैसे मामलों में जब योजनाएं केवल कागजों में रह जाती हैं और जनता ठगी जाती है, तो फिर तिहार जैसा आयोजन केवल सरकारी उत्सव बनकर रह जाता है।

यह घोटाला केवल पर्यावरणीय योजना का मज़ाक नहीं उड़ाता, बल्कि सरकारी तंत्र की साख पर भी सवाल खड़ा करता है। यदि समय रहते पारदर्शी और कड़ी जांच नहीं हुई, तो 'नरवा-गरवा' जैसे मॉडल भी जनता के लिए सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएंगे।

अब सबकी निगाहें उस 'जांच' पर टिकी हैं...

जो होनी थी 'कल', लेकिन आज तक 'कहीं से शुरू नहीं हुई...'



फर्जी बिलों पर गिरी गाज, ओ.पी. चौधरी का कर सुधारों पर बड़ा वार! छत्तीसगढ़ बना जीएसटी सुधारों का आदर्श मॉडल



केन्द्र के समक्ष रखे सख्त सुझाव

छत्तीसगढ़ में फर्जी बिलों पर गिरी गाज, ओ.पी. चौधरी का कर सुधारों पर बड़ा वार किया गया है। छत्तीसगढ़ बना जीएसटी सुधारों का आदर्श मॉडल, केन्द्र के समक्ष नये नए सुझाव। जिसके फलस्वरूप देश की राजधानी दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम ने कवच ली। जब जीएसटी राजस्व संग्रहण के मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में छत्तीसगढ़ के तेजतर्जित वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने श्रद्धाचान, बोगस पंजीयन और फर्जी बिलिंग के विरुद्ध एक नए और ठोस एजेंडा प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने तर्कों, तथ्यों और विज्ञान से न केवल केन्द्र सरकार बल्कि अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी चौंका दिया।

बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के संयोजन में देशभर के वित्त मंत्री शामिल हुए, लेकिन चर्चा का केन्द्र बिन्दु बनकर उभरे छत्तीसगढ़ के ओ.पी. चौधरी। उन्होंने जिस तरह से जीएसटी संग्रहण में पारदर्शिता, तकनीक और कानून का समुचित संतुलन स्थापित करने की वकालत की, वह पूरे हॉल में चर्चा का विषय बन गया।

चौधरी ने तीखे शब्दों में कहा- 'अब नहीं चलेगा बोगस व्यापारियों का खेल' छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री उन्होंने सुझाव दिया कि पंजीयन प्रक्रिया को केन्द्रीकृत डिजिटल तंत्र से जोड़ा जाए ताकि बोगस व्यवसायियों की पहचान तुरंत हो सके और फर्जी आईटीसी लेने वालों पर तुरन्त कार्यवाही हो। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एआई और डेटा एनालिटिक्स आधारित निगरानी से कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगा है।

छत्तीसगढ़ बना राष्ट्रीय मॉडल

बैठक में मंत्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य ने न केवल नियमित समीक्षा की प्रक्रिया अपनाई, बल्कि डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को भी लागू किया। इसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में सामने आया है। बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग अब छत्तीसगढ़ में नियमित हो चुका है। श्री चौधरी ने इन नवाचारों को पूरे देश में लागू करने का

सुझाव देते हुए कहा, 'जब तकनीक है, तो भ्रष्टाचार क्यों?'

सख्त कदम, सटीक रणनीति

बैठक के दौरान ओ.पी. चौधरी ने फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल राजस्व की चोरी नहीं, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ पर वार है। इसके समाधान के रूप में उन्होंने त्रि-स्तरीय नियंत्रण प्रणाली का प्रस्ताव रखा-

- केन्द्रीकृत पंजीकरण जाँच प्रणाली
- अंतरराज्यीय डेटा साझा तंत्र
- रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम।
- भरोसे और बदलाव की बात

मंत्री चौधरी ने कहा, 'हम करदाताओं का विश्वास तभी जीत सकते हैं जब हम उन्हें पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष कर प्रणाली दें।' फर्जीवाड़ा रोकने की दिशा में उठाया गया हर कदम करदाताओं में भरोसे की नींव रखेगा।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि जीएसटी सुधारों को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। 'यह किसी एक राज्य या पार्टी की बात नहीं, यह भारत के आर्थिक आत्मसम्मान की बात है।'

राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

बैठक में मौजूद अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की। कुछ ने तो इसे 'रोल मॉडल' तक कह दिया। एक वरिष्ठ मंत्री ने बैठक के बाद कहा- 'जो बातें ओ.पी. चौधरी ने रखीं, वो आज देश के हर राज्य को सुननी और अपनानी चाहिए।'

अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा

बैठक में चौधरी ने जोर देकर कहा कि सभी राज्यों को साझा रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्रियों के समूह की सिफारिशें जल्द ही जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकार की जाएंगी और भारत में कर प्रशासन को नई दिशा मिलेगी।

'कर सुधार की आग भड़की-फर्जी पंजीयन की दीवारें ढहने लगी!'

'ओ.पी. चौधरी की हुंकार-अब जीएसटी को नहीं बर्बाद होने देंगे!'

‘पथलगाँव में मौत का कारोबार, स्वास्थ्य विभाग बना मूकदर्शक’

झोलाछाप डॉक्टर बना जल्लाद : बीएमओ बन गया पहरेदार

जशपुर जिले के पथलगाँव में कुछ किलोमीटर दूर मिर्जापुर तमता गाँव में वर्षों से सक्रिय एक फर्जी डॉक्टर का अनन्यनीतवेज मामला उजागर हुआ है। बिना किसी डिग्री, पंजीयन या चिकित्सा योग्यता के यह झोलाछाप डॉक्टर इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से निवर्तवाइ कर रहा है। गंभीर बात यह है कि इन लोग का एक ही इलाज-इंजेक्शन! इनमें अब तक कई मरीजों की हालत गंभीर हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य मठकमा पूरी तरह से मौन बना हुआ है।

स्टिंग ऑपरेशन से बेनकाब हुआ ‘मौत का सौदागर’

इस पूरे प्रकरण की वास्तविकता उजागर करने के लिए पत्रकारों की टीम ने मरीज बनकर उक्त डॉक्टर के पास जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 3000 रुपये वसूले और बिना किसी जाँच या मेडिकल प्रक्रिया के सीधे इंजेक्शन लगा दिया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो क्लिप और भुगतान के डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए और तत्काल पथलगाँव के बीएमओ को सौंपे गए।

बीएमओ का जवाब- वही पुराना ‘जाँच’ का बहाना

जब बीएमओ को इतने ठोस साक्ष्य सौंपे गए, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि तत्काल कार्रवाई होगी क्लीनिक को सील किया जाएगा, झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और विभागीय सख्ती सामने आएगी। लेकिन बीएमओ की प्रतिक्रिया वही घीसी-पीटी सरकारी पंक्ति रही ‘जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।’

प्रश्न यह है कि जब साक्ष्य सामने है, वीडियो उपलब्ध है और अपराध स्पष्ट है, तो अब और किस जाँच की आवश्यकता है?

बंद पड़ा उपस्वास्थ्य केन्द्र, मजबूरी में मौत को चुन रहे मरीज

इस झोलाछाप डॉक्टर के पास मरीजों की भीड़ लगने का सबसे बड़ा कारण करमी टिकरा स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र है, जो महीनों से बंद पड़ा है। जब ग्रामीण वहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं और



उन्हें ताला लटका मिलता है, तो मजबूरी में वे इस फर्जी डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी सरकारी स्वास्थ्य सेवा की अनुपलब्धता ने झोलाछाप डॉक्टरों के लिए जमीन तैयार कर दी है।

क्या बीएमओ भी इस पूरे खेल का हिस्सा है?

अब यह सवाल खुलकर सामने है कि जब सभी साक्ष्य बीएमओ को सौंपे जा चुके हैं, तब भी केवल ‘जाँच’ क्यों? क्या स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा फल-फूल रहा है? या फिर बीएमओ किसी दबाव में है? इस चुप्पी और निष्क्रियता ने जनता के मन में संदेह और आक्रोश दोनों पैदा कर दिए हैं।

स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और मीडिया सम्मान परिवार की ओर से प्रशासन को तीन मांगों को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है—

– झोलाछाप डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की जाए।

– करमी टिकरा उपस्वास्थ्य केन्द्र को पुनः चालू किया जाए।

– बीएमओ के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रारंभ की जाए।

नहीं तो पूरे प्रकरण के विरोध में व्यापक जनआंदोलन छेड़ा जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत बीएमओ कार्यालय के घेराव से की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे जिला मुख्यालय से राजधानी तक ले जाया जाएगा।

अब यह खबर नहीं चेतावनी है

पथलगाँव के मिर्जापुर तमता में घटित यह प्रकरण एक झोलाछाप डॉक्टर की कहानी नहीं है। यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता, प्रशासन की लापरवाही और जनता के साथ हो रहे छल का प्रतीक है। अब ‘जाँच’ का बहाना नहीं चलेगा, अब कार्रवाई चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

हाईटेक नकल की राष्ट्रीय साजिश!

छत्तीसगढ़ में सब-इंजीनियर परीक्षा घोटाला उजागर

छत्तीसगढ़ की शांत धरती एक बार फिर उस समय थरती उठी जब प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव 'बाबा' ने एक अनभिनवीन वृत्तवाता किया। ओशल मीडिया पर किए गए अपने ट्वीट में सिंहदेव ने सब-इंजी-नियर भर्ती परीक्षा के दौरान हुए हाईटेक नकल कांड को उजागर किया, जो न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि राज्य की न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली पर भी गहरे अवाल नड़े कनता है।

सिंहदेव ने बताया कि परीक्षा में नकल किसी सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि बेहद संगठित और हाईटेक अंदाज में की गई थी। परीक्षार्थियों के पास से लैपटॉप, माइक्रो डिवाइस, ब्लूटूथ उपकरण और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए, जो दर्शाता है कि ये पूरी तरह सुनियोजित और व्यवस्थागत साजिश थी। सवाल यह है कि इतने हाईटेक गैजेट्स परीक्षा केन्द्रों के भीतर कैसे पहुँचे? क्या प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव था?

'यह कोई एक परीक्षा का मामला नहीं है। यह उस चक्रव्यूह का हिस्सा है जिसमें भारत का युवा फंसा हुआ है और सत्ता मुकदर्शक बनी बैठी है।' सिंहदेव ने ट्वीट करते हुए लिखा।

दरअलस यह पहली बार नहीं जब परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए हों। बीते कुछ वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों में परीक्षा घोटाले एक आम बात बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश, राजस्थान से गुजरात, बिहार से झारखंड तक, हर राज्य में छात्रों को कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा निरस्त, तो कभी नकल के आरोपों से दो-चार होना पड़ा है।

सबसे ताजातरीन मामला हृथश्वज परीक्षा घोटाले का है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास की नींव को हिला दिया है। जो परीक्षा लाखों युवाओं के मेडिकल करियर का आधार बनती है, वहाँ पैसों और पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए सीटें बेची जा रही हैं- और सत्ता आँखे मूँदे बैठी है।

क्या यही है 'नया भारत'?

एक ऐसा भारत, जहाँ मेहनत से ज्यादा मायने 'मैनेजमेंट' का हो गया है! जहाँ ईमानदार छात्र परीक्षा में बैठने से पहले डरता है कि क्या इस बार पेपर लीक होगा या नहीं? और जहाँ गरीब और ग्रामीण तबकके के छात्र, जो पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं, बार-बार व्यवस्था की लापरवाही का शिकार बनते हैं!

यह कोई तकनीकी चूक नहीं है- यह एक गहरी साजिश है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वह साजिश सिर्फ कुछ नकलचियों की नहीं, बल्कि सत्ता और अपराधियों के गठजोड़ की प्रतीक बनती जा रही है। जिन संस्थाओं पर भरोसा करके देश के युवाओं ने अपने भविष्य की नींव रखी थी, वही संस्थाएँ अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है।



युवाओं के सपनों को कुचल रही है सत्ता की चुप्पी

जब सरकारें खामोश होती हैं, अपराध बोलने लगता है

छत्तीसगढ़ में आज वही हो रहा है। बीजेपी की सरकारें जवाबदेही से बचने के लिए 'धर्म', 'हिन्दुत्व' और 'तुष्टीकरण' जैसे मुद्दों का सहारा ले रही हैं। जब जनता नौकरी और परीक्षा की बात करती है तो सरकार मंदिर और मूर्तियों की बात करने लगती है। युवाओं के भविष्य पर चुप्पी, लेकिन चुनाव के समय भाषणों में जोश। टी.एस. सिंहदेव ने साफ कहा कि, यह नकल कांड कोई एक राज्य की विफलता नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गिरावट का संकेत है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, चाहे वे कितनी भी ऊँची कुर्सियों पर क्यों न बैठे हों।

क्या देश की युवा शक्ति इसी तरह ठगी जाती रहेगी?

यह सवाल अब हर उस छात्र के मन में है जिसने दिन-रात मेहनत की, लेकिन सिस्टम की सड़ांध ने उसकी मेहनत को रौंद डाला। यह सवाल हर उस अभिभावक के मन में है जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया, लेकिन बदले में मिली है सिर्फ ठगी और निराशा।

भारत का भविष्य क्लासरूम में तय होना चाहिए, लेकिन आज उसका सौदा परीक्षा केन्द्रों के बाहर हो रहा है।

अब वक्त आ गया है कि देश की जनता पूछे-

- क्या शिक्षा का अधिकार अब सिर्फ अमीरों और जुगाड़बाजों का विशेषाधिकार बन गया है?
- क्या एक सामान्य छात्र अब सिर्फ सपने देख सकता है, उन्हें जी नहीं सकता?

और सबसे बड़ा सवाल- क्या यह व्यवस्था अब कभी सुधरेगी या युवाओं को इसी अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा?

जब तक सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक यह 'हाईटेक नकल' केवल तकनीक की जीत नहीं, बल्कि ईमानदारी की करारी हार साबित होती रहेगी।

जब खुद चाहेंगे तब होंगे रिटायर मोदी

आदमी जब कोई काम नहीं कर सकता है तो खुद ही काम करना बंद कर देता है, वह रिटायर हो जाता है। रिटायर होने की कोई उमर तो तय नहीं की जा सकती क्योंकि कोई 80 साल में भी शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, जो काम वह करता है, उसके लिए फिट हो सकता है और कोई 50 साल में बीमार होने के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से फिट नहीं हो सकता है, काम नहीं कर सकता है। रिटायर होने का संबंध तो इस बात से होता है कि आदमी जो काम कुशलता से करता था, वह काम अब कर सकता है या नहीं, कर सकता है तो उसे रिटायर होने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी में भले ही रिटायर होने की उमर सरकार तय कर देती है, ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि किसी के रिटायर होने पर ही किसी जवान आदमी की नियुक्ति होती है।

राजनीति में रिटायर होने की कोई उम्र किसी राजनीतिक दल ने अभी तक तय नहीं की है, किसी ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि राजनीति में आदमी 70 या 75 साल का हो जाए तो उसे पार्टी को रिटायर कर देना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अपने नेता को जब भी रिटायर करना होता है तो उससे कहा नहीं जाता है कि आपको रिटायर किया जा रहा है, उसे बस चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता है। वह भी तब जब वह न तो खुद चुनाव जीत सकता है और न ही पार्टी को चुनाव जीता सकता है।

अगर कोई नेता खुद चुनाव निरंतर जीत रहा है और पार्टी को भी चुनाव जीता रहा है तो वह नेता पार्टी के काम का नेता होता है, उसे कोई रिटायर होने को नहीं कहता है सभी लोग ऐसे नेता का सम्मान करते हैं, चाहते हैं कि ऐसा नेता लंबे समय तक स्वस्थ रहे, लोकप्रिय रहे और पार्टी को चुनाव जीताता रहे। देश में पीएम मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिनके रिटायर होने का कांग्रेस सहित विपक्ष के कई राजनीतिक दलों को बड़ा इंतजार है क्योंकि उनको लगता है कि यह आदमी जब तक भाजपा में है, स्वस्थ है, लोकप्रिय है, उनका चुनाव जीतना मुश्किल है। इसलिए आए दिन कांग्रेस नेता व विपक्षी राजनीतिक दल अफवाह उड़ाते रहते हैं कि संघ मोदी का पसंद नहीं करता है, वह चाहता है कि

75 साल का होने पर पीएम मोदी खुद ही रिटायर हो जाएं।

हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि कोई 75 साल का हो गया है तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। बिना यह जाने कांग्रेस नेता व मोदी विरोधी नेता सक्रिय हो गए यह अफवाह फैलाने के लिए कि मोहन भागवत ने कह दिया है कि 75 साल का होने पर पीएम मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। या मोहन भागवत चाहते हैं कि 75 साल का होने पर पीएम मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। हकीकत यह है कि मोहन भागवत 75 साल में रिटायर होने की बात आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले का स्मरण करते हुए कही थी कि वह कहा करते थे जब कोई 75 साल में शाल ओढ़ाए को समझ जाना चाहिए कि लोग अब चाहते हैं आप रिटायर हो जाओ।

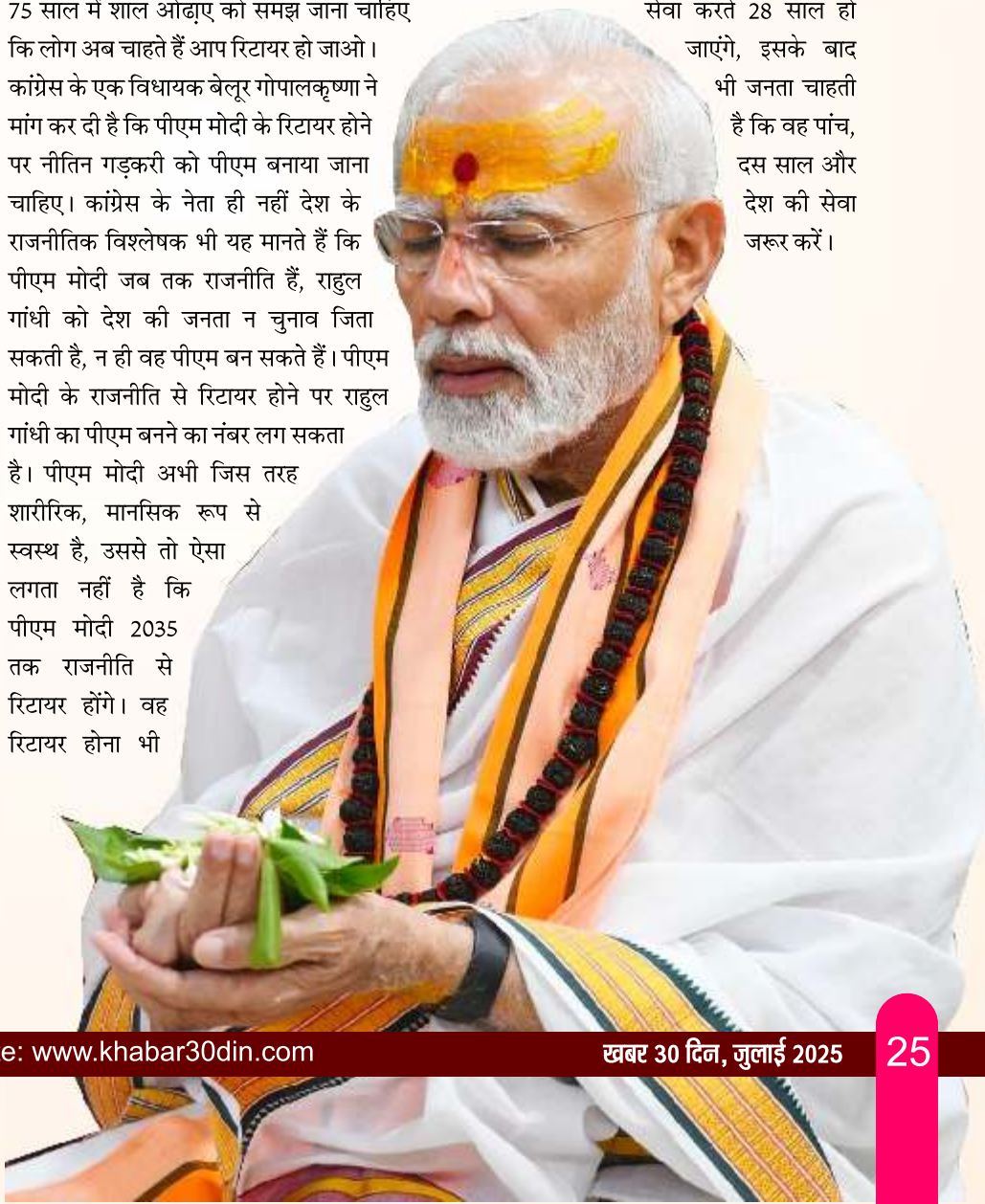
कांग्रेस के एक विधायक बेलूर गोपालकृष्णा ने मांग कर दी है कि पीएम मोदी के रिटायर होने पर नीतिन गड्करी को पीएम बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता ही नहीं देश के राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि पीएम मोदी जब तक राजनीति हैं, राहुल गांधी को देश की जनता न चुनाव जीत सकती है, न ही वह पीएम बन सकते हैं। पीएम मोदी के राजनीति से रिटायर होने पर राहुल गांधी का पीएम बनने का नंबर लग सकता है। पीएम मोदी अभी जिस तरह

शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उससे तो ऐसा लगता नहीं है कि पीएम मोदी 2035 तक राजनीति से रिटायर होंगे। वह रिटायर होना भी

चाहेंगे तो भाजपा नेता व देश की जनता उनको रिटायर नहीं होने देगी। उनसे अपेक्षा करेगी की वह अभी कुछ और समय देश व जनता की सेवा करें। ऐसे बहुत कम नेता देश में हुए हैं, जनता जिससे अपेक्षा करती है वह जब तक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है, तब तक देश की सेवा करें, जनता ऐसे नेता को खुद ही मौका देती है देश सेवा करने का। पीएम मोदी ऐसे ही नेता हैं, जिन्हें जनता ही अभी पांच, दस साल सेवा करने का मौका देती रहेगी। पीएम मोदी सीएम के रूप में गुजरात की जनता का सेवा 2001 से 2014 तक की और उसके बाद से वह पीएम हैं। यानी देश व जनता की सेवा करते उनको 23 साल हो गए हैं और 29 तक वह पीएम हैं यानी उनको जनता की

सेवा करते 28 साल हो जाएंगे, इसके बाद

भी जनता चाहती है कि वह पांच, दस साल और देश की सेवा जरूर करें।



बिजली तो महंगी होती जाती है...



बिजली अन्य जल्दनी सुविधाओं की तरह जल्दनी है, इसके बिना लोगों का काम नहीं चलता है। लोग चाहते हैं कि कम से कम यह तो महंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों के चाहने से क्या होता है, बिजली विभाग को लोगों की चिंता नहीं रहती है वह क्या चाहते हैं, बिजली बिल बढ़ने से उनको क्या परेशानी होती है। बिजली विभाग को अपनी चिंता रहती है कि उसे जो घाटा हो रहा है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। अबसे आसान तरीका यह होता है कि जनता की जेब से छी निकाल लिया जाए। बिजली विभाग चाहे तो जिन कारणों से उसे घाटा होता है, घाटा कम करने का प्रयास कर सकती है लेकिन बिजली विभाग ने ऐसा कभी नहीं किया है। उसकी लापरवाही, कुप्रबंधन, अनकान व अनकानी विभागों से पैसा न मिलना, बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक कई कारणों से उसे घाटा होता है, अनकान की योजनाओं के कारण घाटा होता है, वह और अनकान चाहें तो घाटा अमान्य न कर सकें लेकिन उसे कम तो कर सकते हैं, ऐसा कभी सुनने या पढ़ने में नहीं आता है कि बिजली विभाग व अनकान ने बिजली का घाटा कम करने को कोई गंभीर प्रयास किया है जिसके कारण राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिली हो।

लोग तो चाहते हैं बिजली सस्ती न दे सरकार लेकिन बिजली दर बढ़ाए तो नहीं, बिजली दर को स्थिर रखें। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पिछले पांच साल में सीएसपीडीसीएल की अनुशंसा पर बिजली दरों में औसत एक रुपए की बढ़ोतरी की है यानी सौ रुपये की बढ़ोतरी की है। 11 जुलाई को फिर एक बार बिजली दर बढ़ाई गई है। बताया गया है कि इस बार औसत 1.89

प्रतिशत बिजली दर बढ़ाई गई है। इससे 65 लाख घरेलू, 5 लाख कमर्शियल और कृषि क्षेत्र के 6 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बिजली विभाग का कहना है कि उसे विद्युत की लागत एक यूनिट 7.20 रुपये पड़ती है, उसे घरेलू उपभोक्ताओं, पोहा मुरमुरा वालों को, अग्रिम भुगतान करने वालों को सस्ती बिजली देनी पड़ती है। इसके अलावा कई योजनाओं में सस्ती या मुफ्त बिजली देनी पड़ती

है, जिसका पैसा सरकार देती है।

आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2003 में रमन सिंह सरकार के समय बिजली की दर 3.30 रुपये थी, रमन सिंह के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 6.40 रुपये कर दिया गया था। वर्तमान में यह 7.20 रुपये हैं। पिछले पांच साल में बिजली दर में बढ़ोतरी देखी जाए तो 21-22 में 6.19 फीसदी, 22-23 में 2.31 फीसदी, 23-24 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इसके बाद 24-25 में 8.35 फीसदी, 25-26 में 1.89 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सीएम साय का कहना है कि बिजली दर बढ़ोतरी का गरीबों व किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि उनकी सरकार आने के बाद पहली बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है जबकि कांग्रेस सरकार के समय 22-23 में 2.50 प्रतिशत, 24-25 में 4.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना है कि इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस के समय 7.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि 18 माह की भाजपा सरकार में बिजली बिल में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है। उनका कहना है कि आज बिजली उत्पादन वाली किसी वस्तु की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, फिर बिजली की दर में बढ़ोतरी क्यों की गई है।

उनका कहना है कि बिजली दर में बढ़ोतरी का कारण प्रदेश सरकार पर राज्य पावर कंपनी का बिजली बिल बकाया दस हजार करोड़ हो गया है, शासन द्वारा कई योजनाओं से विभाग को दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सरकार बिजली विभाग को नहीं कर रही है। शासन के 23 विभागों का लगभग 2300 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि डेढ़ साल में चौथी बार बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है, यह जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और आने वाले दिनों में इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी। यह अच्छी बात है कि साय सरकार ने कांग्रेस के समय से चली आ रही चार सौ यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को बंद नहीं किया है नहीं तो लोगों को और ज्यादा बिजली बिल देना पड़ता है।

नियम है तो यह तो होना ही था...

3200 करोड़ का शराब घोटाला राज्य के सामूहिक या संगठित घोटालों की सूची में सबसे बड़ा घोटाला माना जा सकता है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अधिकारियों पर नियमानुसार तो कार्रवाई होनी ही थी। नियम के मुताबिक आरोप पत्र दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर आरोप पत्र में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उनको निलंबित कर दिया जाना था लेकिन उनको कुछ देर से सही निलंबित कर दिया गया है। कहा जाता है कि आदमी जैसा कर्म अकेले और समूह में करता है तो उसको कर्मफल भी अकेले या समूह के साथ भुगतना पड़ता है।

ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक प्रदेश के सबसे बड़े शराब घोटाले में 4 आबकारी उपायुक्त, 13 सहायक आयुक्त, 9 जिला अधिकारी, 3 सहायक जिला अधिकारी शामिल हैं। इन सभी को प्रति पेटी 3 प्रतिशत से ज्यादा कमीशन मिलता था। इनमें 7 अफसर रिटायर हो चुके हैं, एक की मौत हो गई है। सबको पद के हिसाब से पैसा मिलता था। आबकारी उपायुक्त को हर माह दो लाख रुपए, सहायक उपायुक्त को डेढ़ लाख, जिला आबकारी अधिकारी को सवा लाख, सहायक आबकारी अधिकारी को एक लाख रुपए सेलरी मिलती है। यह देखा जाए तो इतनी सेलरी कम तो नहीं कही जा सकती लेकिन जब कभी अधिकारी के सामने ऐसा मौका आता है कि पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमा सकते उतना कुछ साल में कमाने का मौका मिलता है तो अधिकारी यह सोचकर रिस्क उठा लेता है कि घोटाला नहीं खुला तो फायदा ही फायदा है। खुल गया तो भी इतना पैसा तो आ ही गया है कि जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं होगी।

बताया जाता है कि सबसे बड़े अधिकारी को सबसे ज्यादा कमीशन मिला है, उसे तीन साल में ही इतना मिल गया कि 60 साल नौकरी करने पर भी नहीं मिलता। सामूहिक भ्रष्टाचार में यह सोच कर भी तसल्ली होती है कि यह सब तो ऊपर वाले के इशारे के किया जा रहा है, इसलिए इस सरकार के रहते तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ज्यादातर अधिकारी तो इसीलिए घोटाले में स्वेच्छा का मजबूरी में



शामिल हो गए होंगे। जो स्वेच्छा से शामिल हुए होंगे उनको पैसा दिख रहा होगा, जो मजबूरी में शामिल हुए होंगे, उनको लगा होगा कि सब कर रहे हैं तो करना तो मुझे भी पड़ेगा। ऐसा होता है जब ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार करते हैं और कुछ लोग ईमानदार होते हैं तो भ्रष्ट लोगों के दबाव में उनको भी वही सब करना पड़ता है जो सब करते हैं।

भ्रष्ट लोगों को ईमानदार आदमी से सबसे ज्यादा डर लगा रहता है कि यह हमारी पोल खोल सकता है, इसलिए ईमानदार आदमी को किसी भी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में घसीट लिया जाता है वह जब साथ में आ जाता है तो भ्रष्टाचार की पोल खुलने का कोई डर ही नहीं रहता है। सामूहिक घोटाले की पोल सरकार बदलने पर खुलनी ही थी और ऐसा ही हुआ है। पोल खुलने पर कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा था कि आबकारी विभाग में हमको नौकरी करते हुए 10-20 साल हो चुके हैं, कुछ तो रमन सिंह के समय में काम कर चुके हैं, उनका लाजिक है कि तब हम पर कोई आरोप नहीं लगा था, तब सरकारी तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता था, पिछली सरकार में ऐसा किया गया और हम पर दबाव डालकर यह काम करवाया गया। अब साय सरकार में भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। उनका कहना था कि गलती हमारी नहीं सिस्टम की थी।

पुरानी सरकार के समय के इतने घोटाले सामने आते गए हैं कि राज्य की जनता को लगता है कि पिछली सरकार को उसने घोटाला करने के लिये मौका दिया था। जनता को ऐसा लगता है कि पिछली सरकार के समय पूरे तंत्र को सिस्टम को पार्टी, परिवार व अपने लिए पैसा बनाने भ्रष्ट कर दिया गया था। माना जाता है कि जब तंत्र को यह पता चल जाता है शीर्षस्थ आदमी ही अपने लोगों के जरिए पैसा बना रहा है तो वह भी पैसा बनाने लग जाता है और पूरा तंत्र एक तरह से भ्रष्ट हो जाता है लोकतंत्र में सबसे बुरी स्थिति यही होती है कि पूरा तंत्र ही खराब हो जाए।

व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो उससे सरकार, समाज को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है लेकिन जब भ्रष्टाचार समूह में किया जाता है, लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर कर किया जाता है तो इससे राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में किसी को भ्रष्टाचार अपराध नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है। क्योंकि सब करते हैं, और जो नहीं करना चाहता उसको भी करने के लिए मजबूर भी करते हैं। जनता सब देखती रहती है और समय आने पर ऐसे लोगों को सबक सिखाती है। अक्सर भ्रष्टाचार करने वाले सोचते हैं कि वह जो कुछ कर रहे हैं जनता को पता नहीं है लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि जनता को कुछ पता नहीं था, यह उनका वहम था।

सत्ता के साथ अहंकार भी आता है...



देश के राज्यों में विधानसभा के चुनाव खेते खेते हैं, किन्हीं न किन्हीं राजनीतिक दल को जनता सत्ता सौंपती है। सत्ता अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी लेती है। जनता के प्रति जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारी को ठीक निबाह सत्ता है जिन्को सत्ता का पद का अहंकार नहीं लेता है। सत्ता की सबसे बड़ी बुनाई यह लेती है कि इनके मिलते ही राजनीतिक दल और उनके ज्यादातर नेताओं को अहंकार ले जाता है कि ठम अब सामान्य दल नहीं है, ठम अब सामान्य लोग नहीं है, ठम तो स्वाम्म ले गए है। ठमाने साथ जनता को स्वाम्म व्यवहार करना चाहिए, पार्टी के लोगों को स्वाम्म व्यवहार करना चाहिए। वह चाहते हैं कि अब ठमाना सम्मान करें लेकिन वह किन्हीं का सम्मान नहीं करते हैं। सत्ता मिलते ही बहुत आने लोग भूल जाते हैं कि उनको सत्ता जनता ने सौंपी, वह भूल जाते हैं कि सत्ता उनको मिली है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण। वह जनता से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वह कार्यकर्ताओं से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं।

पार्टी के बड़े व अनुभवी लोग होते हैं, वह इस बात को जानते हैं। सत्ता का नशा ही ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि वह सबसे बड़ा है और वह सबका अपमान करता है। अपने क्षेत्र की जनता और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान करता है। पार्टी के कार्यकर्ता तो उसकी शिकायत पार्टी की बैठकों में करते हैं लेकिन आम जनता किसी से शिकायत नहीं करती है। वह अगले चुनाव में विधायक, मंत्री के साथ ही राजनीतिक दल को हराकर सबक देती है कि जो जनता का सम्मान नहीं करता है जनता भी उसे अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव से यह बात जानते हैं, इसलिए भाजपा अपने विधायकों व सांसदों व नेताओं जब भी मौका मिलता है कि इस बात का एहसास दिलाती है कि उसके लिए पार्टी व जनता का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पार्टी उसे विधायक, सांसद बनने का मौका देती है और जनता उसे विधायक व सांसद बनाती है। यही वजह है कि मैनपाट के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नए व पुराने विधायकों, सांसदों को यह सीख दी है कि जनता व कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दोनों से अच्छा व्यवहार नहीं करने का परिणाम विधायक, सांसद की हार तो होती ही है, भाजपा की भी हार होती है। सांसद, विधायक की

बदनामी तो होती ही है, पार्टी की छवि भी खराब होती है। मैनपाट के तीन दिन के 12 सत्रों में भाजपा विधायकों व सांसदों को लोक व्यवहार, समय प्रबंधन, व्यक्तित्व कौशल विकास के टिप्स भी दिए गए हैं। राज्य सरकार के लिए तीन साल की कार्ययोजना भी बनाई गई है। सीएम साय ने कहा है कि मैनपाट प्रशिक्षण विधायकों, सांसदों के दायित्व निर्वहन में सहायक सिद्ध होगा तो उम्मीद की जा सकती है ऐसा जरूर होगा।

भाजपा की कार्यपद्धति में प्रशिक्षण व अभ्यास की परंपरा है। जब मौका मिलता है नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसका अभ्यास करने को कहा जाता है इससे विधायकों व सांसदों को दायित्व निभाने में मदद मिलती है। वह अपनी कार्यशैली को और प्रभावी बना पाते हैं, जनता के सेवा और अच्छे से कर पाते हैं। भाजपा को मालूम है कि वह अपने नेताओं में सामूहिकता की भावना कैसे पैदा कर सकती है, संगठनात्मक समरसता कैसे ला सकती है। इसलिए वह ऐसे आयोजन करती है जिसमें सभी एक साथ कुछ दिन रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। पार्टी के प्रति परिवारबोध गहरा होता है। सबको एहसास दिलाया जाता है कि हमारी पार्टी एक परिवार है। हम सब इस परिवार के हैं, हमें इस परिवार को एकजुट व मजबूत बनाए रखना है।

माना जाता है कि कांग्रेस व भाजपा में यही मूल अंतर है कि भाजपा के लोग पार्टी को एक परिवार समझते हैं और कांग्रेस के लोग पार्टी को किसी परिवार की प्राप्ति मानते हैं। इसलिए भाजपा में वह होता है जो पार्टी चाहती है, कांग्रेस में वही होता है जो परिवार चाहता है। कांग्रेस में परिवार चुनाव नहीं जिता पाता है तो पार्टी कमजोर हो जाती है लेकिन भाजपा में पार्टी चुनाव जिताती है, इसलिए पार्टी मजबूत होती जाती है।

आज कांग्रेस कमजोर है तो परिवार के कारण, कमजोर है तो भ्रष्ट नेताओं के कारण, जनता का ख्याल नहीं रखने वाले नेताओं के कारण और भाजपा मजबूत है तो पार्टी के कारण अपने ईमानदार नेताओं के कारण, जनसेवी नेताओं के कारण। जनता का ख्याल रखने वाले नेताओं के कारण।

लोगों को बेसब्री से इंतजार है अगले बरस के बस्तर पंडुम का



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में बस्तर में तेजी से शांति लौटी है। नक्सलवादी हिंसा के चलते बस्तर की अमूल्य पहचान गुम हो गई थी, यह पहचान इसके सुंदर प्राकृतिक परिवेश के साथ ही अनुपम सांस्कृतिक जनजातीय धरोहर को लेकर भी है यह सुंदर संस्कृति अपने को उत्पन्न अर्थात् पंडुम के माध्यम से प्रकट करती है। साय सरकार ने बस्तर की अमूल्य पहचान को देश-दुनिया में भव्यता से आमने लाने बस्तर पंडुम के आयोजन का निर्णय लिया।

बस्तर पंडुम 2025 बस्तर की जनजातीय परंपराओं, कला और जीवनशैली को दुनिया के सामने लाने वाला एक भव्य उत्सव है। यह आयोजन बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पूरी प्रखरता से ले जाने में सफल रहा। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और बस्तर के लोगों की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। इस आयोजन के समापन समारोह में दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने घोषणा की कि अगले वर्ष से बस्तर पंडुम 12 श्रेणियों में आयोजित होगा, जिसमें देशभर के आदिवासी जिलों से कलाकार भाग लेंगे। बस्तर पंडुम 2025 न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इस आयोजन से बस्तर के स्थानीय लोगों को अपनी परंपराओं और कला को दिखाने का मंच मिला और साथ ही देश-विदेश से आए पर्यटकों, शोधकर्ताओं और संस्कृति प्रेमियों को बस्तर की अनूठी संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला। आयोजन के वृहत स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस्तर संभाग के कोने-कोने से आये कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी अनूठी कला से देश दुनिया का परिचय कराया। इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 32 जनपद पंचायतों के अंतर्गत 1,885 ग्राम पंचायत शामिल हुए। बस्तर की संस्कृति के सात विधाओं में लगभग 27,000 प्रतिभागियों ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। बस्तर के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत एक नगरनिगम, 8 नगर पालिका, 12 नगर पंचायत भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए।

बस्तर संभाग के सात जिलों सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर में यह आयोजन भव्य रूप से हुआ। इस आयोजन ने बस्तर के जनजातीय समाज की पहचान, गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप में सामने रखा। इस उत्सव में बस्तर की संस्कृति की सात प्रमुख विधाओं जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वेशभूषा-आभूषण, शिल्प और

चित्रकला, पेय पदार्थ और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य प्रदर्शन किया गया। समापन के अवसर पर ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, असम और मध्यप्रदेश के कलाकारों ने भी अपने नृत्य-संगीत का प्रदर्शन किया। यह सातों विधाएं बस्तर को जानने के लिए एक पर्दा खोलती हैं और इसके माध्यम से आप बस्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति के विस्मय लोक में प्रवेश करते हैं। जनजातीय नृत्य को लें, यह सामूहिकता का परिचय देने वाले नृत्य हैं। चाहे मिलजुलकर शिकार करना हो अथवा देवी-देवताओं को प्रसन्न करने सुंदर आंगिक अभिव्यक्ति करनी हो, जनजातीय नृत्य अपने अनूठे रूप में सामूहिकता के बोध के साथ बस्तर के लोक विश्वासों से परिचित कराते हैं।

बस्तर का संसार शांति प्रिय है। अद्भुत सौंदर्य दृष्टि रखता है इसके चलते आभूषणों और वेशभूषा की समृद्ध परंपरा यहां नजर आती है। बस्तर पंडुम के माध्यम से यह अनोखा संसार भी सामने आया। बस्तर की सांस्कृतिक यात्रा इसके हाट-बाजारों का अवलोकन किये बिना पूरी नहीं होती। इन हाट बाजारों में बस्तर के खानपान और महुआ, लांदा-सल्फी जैसे पेय पदार्थ भी होते हैं। चापड़ा चटनी से लेकर बोड़ा जैसे खाद्य सामग्री बस्तर की खानपान परंपरा को विशिष्ट बनाती है। इन खानपान की परंपराओं का सुंदर नजारा भी बस्तर पंडुम में दिखा। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन जनपद, जिला और संभाग स्तर पर तीन चरणों में हुआ। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन के लिए बस्तर के सात जिलों में जनपद व जिला स्तरीय आयोजनों और कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कुल 5 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर 1,885 ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये प्रति पंचायत की दर से 1 करोड़ 85 लाख रुपये दिए गए। नगर पंचायतों को 25 हजार रुपये, नगर पालिकाओं को 50 हजार रुपये और नगर निगम को 1 लाख रुपये की राशि दी गई। जनपद स्तर पर सात विधाओं के प्रत्येक विजेता दल को 10 हजार रुपये एवं संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय 30 हजार, तृतीय 20 हजार और सांत्वना पुरस्कार 10 हजार रुपये दिए गए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक दल को 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और 5 हजार रुपये यात्रा भत्ता दिया गया। इस आयोजन ने न केवल जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया बल्कि स्थानीय कलाकारों को मंच और सम्मान भी प्रदान किया। बस्तर पंडुम अब बस्तर की बोली, वाद्ययंत्र, व्यंजन और संस्कृति की तरह भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा बन गया है। अब हर साल बस्तर की जनजातीय संस्कृति से अभिभूत होने वाले लाखों लोगों को इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

बस्तर में फैल रहा है अब विकास का उजियारा



छत्तीसगढ़, जो अपनी अमृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने वन क्षेत्र और विविध जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा है। बस्तर के विकास में बाधाक रहे नक्सलवाद के अब यहां से नक्सल उन्मूलन की अंतिम लड़ाई जारी है। बस्तर संभाग अपनी कला एवं संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है अकेले बस्तर संभाग में छी छल्ली, गोड़ी, भतनी दोलनी जैसे पारंपरिक बोली, बोली जाती है। वर्षों से अशांत रहे बस्तर अंचल में डोल और मांदन की थाप अब फिर से सुनाई देने लगेगी। मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। अटीक रणनीति के साथ यहां आतंक के खात्मे और सामाजिक-आर्थिक विकास के काम छे रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों में जिस तरह लोगों ने भागीदारी की वो इस बात का प्रमाण है की बस्तर में अब शांति स्थापित छे रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि “लाल आतंक के खात्मे के लिए नक्सलियों के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई जोर शोर से जारी है। इसका परिणाम है कि नक्सलियों की कमर अब टूट गई है। प्रदेश से जब तक नक्सली हिंसा और उग्रवाद का अंत नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे।”

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून 2025 को

छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के वीर जवान

कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का अद्वितीय साहस और बलिदान न केवल हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हमारा देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की ओर



अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ में बीते 21 मई 2025 को माओवादी सरगना बसव राजू के साथ अबूझमाड़ के जंगल में 26 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों के हाथों मारे जाने से नक्सलवाद की कमर टूटी है। इस पर सवा 3 करोड़ का ईनाम घोषित था। तीन दशकों में पहली बार हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया। यह असाधारण कामयाबी है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नक्सल के ताबूत में हमने अंतिम कील जड़ दिया है। इसके अलावा शीर्ष ईनामी नक्सली लक्ष्मी नरसिम्हा चालम उर्फ सुधाकर भी 05 जून 2025 को नेशनल पार्क एरिया में पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया, इस पर 1 करोड़ का ईनाम था।

नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना नक्सल प्रभावित इलाकों में गेम चेन्जर्स साबित हो रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों एवं ग्रामीणों को 17 विभागों की 59 हितग्राहीमूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा।

प्रदेश में पिछले डेढ़ साल के भीतर सुरक्षाबलों ने अपनी बहादुरी से 438 नक्सलियों को मार गिराया

है। साथ ही 1515 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और 1476 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर विवश किया है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कैम्पों के माध्यम से हमारी सरकार अंदरूनी गांवों तक सुरक्षा के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच भी सुनिश्चित करने में सफल हो रहे हैं।

आखिर क्यों खास है पूर्वर्ती गांव

सुकमा जिले के अंदरूनी व अतिसंवेदनशील क्षेत्र में बसा हुआ पूर्वर्ती गांव एक वक्त नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। एक करोड़ रूपए का ईनामी नक्सली हिड़मा तथा टेकलगुड़ा कैम्प निर्माण के दौरान नक्सली हमले की घटना का मास्टरमाइंड देवा का यह पैतृक गांव होने के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। माओवादियों का प्रभाव में

होने के कारण पूर्वर्ती गांव में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब इस गांव में सुरक्षा कैम्प खुलने से यहां के लोगों को तेजी से मूलभूत सुविधाएं सुलभ होने लगी है।

आदिवासी बाहुल्य आबादी, अनुपम नैसर्गिक सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बस्तर में आज विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है नक्सली हिंसा।

पिछले 3 दशकों में नक्सलियों ने यहां अपने पैर पसारे। बंदूक के दम पर हिंसा के साथ विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई। नक्सलियों ने अपने झूठे, खोखले सिद्धांतों के जरिए लंबे समय तक भोले-भाले आदिवासियों को भ्रम में डाला, हिंसा का सहारा लेकर उन्हें डराने की कोशिश की। बच्चों से उनके स्कूल छीने, उनका बचपन छीना उन्हें हिंसा की राह पर धकेला। कई परिवारों को बर्बाद किया, सुहागनों की सिंदूर उजाड़े, बेटियों को अगवा किया और उन्हें भी हिंसा के रास्ते पर ले गए।

इसी वजह से संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर पर देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक होने का धब्बा लगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विकास के इस अवरोध को पूरी तरह से समाप्त करने पर डटी हुई है।

बस्तर में विकास का अब नया सबेरा होने वाला है। यहां नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। लोगों को अब खुशहाल बस्तर मिलेगा। पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान पूरे हौंसले के साथ नक्सल मोर्चे पर डटे और अब जल्द ही नक्सलियों का समूल अंत होगा।





कचरा नहीं, 'कंचन है ये छिलका'

रायपुर के कृषि नवाचार से किसानों को मिलेगा लाखों का मुनाफा, कोको पीट बना कमाई का नया मंत्र

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत अंचालित स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रायोगिकी महाविद्यालय में एक ऐसा चमत्कारी नवाचार आमने आया है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के किसानों की किन्नमत पलट सकता है। अब जो चीजें अब तक 'कचरा' समझ कर जलाई जाती थीं, वही अब 'सोना मूल्य' दे सकती है।

हम बात कर रहे नारियल के छिलकों की, जो मंदिरों, बाजारों और गलियों में यूँ ही फेंके जाते थे, लेकिन अब इन्हीं छिलकों से बन रहा है कोको पीट, जो मिट्टी रहित खेती का नया आधार बनता जा रहा है।

इस क्रांति के सूत्रधार हैं डॉ. आर.के. नायक, जो वर्षों से जैविक अपशिष्टों पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने एक विशेष मशीन विकसित की है, जो नारियल के छिलकों को न केवल प्रोसेस करती है, बल्कि उनसे ऐसा उत्पाद निकालती है, जिसकी कीमत सुनकर कोई भी चौंक जाए।

जहाँ कच्चा छिलका 2 रुपये किलो बिकता है, वहीं प्रोसेस्ड कोको पीट 400 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है।

मिट्टी नहीं, अब कोको पीट में उगेंगे पौधे!

डॉ. नायक बताते हैं कि नारियल छिलके से पहले रेशा और बुरादा निकाला जाता है। यही बुरादा जब मशीन में प्रोसेस होकर कोको पीट बनता है, तो वह शहरी खेती (अर्बन फॉर्मिंग), किचन गार्डन और हाइड्रोपोनिक्स जैसी आधुनिक विधाओं में मिट्टी का विकल्प बन जाता है।

इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह पौधों को सीधे पोषण देता है, जिससे उर्वरक की बर्बादी नहीं होती। यही कारण है कि देशभर के शहरी इलाकों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है।

कम लागत, ज्यादा मुनाफा-किसानों के लिए तैयार है चमत्कारी मशीन

कॉलेज द्वारा तैयार की गई यह मशीन हर घंटे 20 क्विंटल नारियल छिलकों को प्रोसेस कर सकती है। मशीन की लागत करीब 2.75 लाख रुपये है और इसे

ट्रैक्टर से पीटीओ के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। यानी गाँव-गाँव जाकर छिलके को प्रोसेस करने की सुविधा।

इस मशीन से किसान को तुरंत तैयार प्रोडक्ट- रेशा और कोको पीट मिल जाता है। जिससे उद्योग का समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

बाजार में जबर्दस्त माँग-स्टार्टअप के लिए सुनहरा अवसर

आज शहरी लोग अपनी गृह वाटिका में मिट्टी की जगह कोको पीट का ही उपयोग कर रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोको पीट की भारी डिमांड है।

जिस 2 रुपये प्रति किलो कच्चे छिलके से बना कोको पीट 400 रुपये किलो में बिक रहा है, सोचिए- 100 किलो से ही 40,000 तक की कमाई संभव है।

डॉ. नायक के मुताबिक, यह नवाचार कम पूंजी में कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

प्रशिक्षण भी देगा विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस तकनीक को आम किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी मार्गदर्शन और स्टार्टअप सहयोग देने के लिए तैयार है।

यह न सिर्फ एक मशीन है, बल्कि कृषि आधारित नवाचार की शुरुआत है। एक ऐसा युग, जहाँ कचरे से कमाई होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।

डॉ. नायक कहते हैं- 'नारियल का छिलका सिर्फ एक अपशिष्ट नहीं, बल्कि एक अनदेखा खजाना है। किसान इसे समझें और उठाएं इस अवसर का लाभ। यह सिर्फ खेती नहीं, एक उद्यम है।'।

छत्तीसगढ़ की धरती से निकला यह नवाचार

छत्तीसगढ़ की धरती से निकला यह नवाचार अब राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति ला सकता है। 'कचरा नहीं, अवसर है', इस सोच से जो किसान आगे बढ़ेंगे, वे अब सिर्फ फसल के नहीं बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता के भी खेतीकार बनेंगे।

अब मंदिरों और गलियों के किनारे बिखरे नारियल छिलके, किसानों की किन्नमत बदलेंगे।

यह केवल एक मशीन नहीं, यह किसानों के आर्थिक उत्थान की चाबी है।

अब छिलका बोलेगा और बोलेगा मुनाफे की भाषा में।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम

ई- ऑफिस प्रणाली



- जनता की सुविधा
- सरकारी कामकाज में तेजी
- दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा
- फाइलों का त्वरित निपटारा
- कामकाज की आसान मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल

CMO

मुख्यमंत्री कार्यालय
छत्तीसगढ़ शासन

- एक क्लिक पर शासकीय योजनाओं आदि की जानकारी
- मुख्यमंत्री के दैनिक कार्यक्रमों की जानकारी
- छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, इतिहास और अन्य विशेषताओं की जानकारी
- विभिन्न जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

स्वागतम पोर्टल

CMO

स्वागतम पोर्टल

- मंत्रालय में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन
- SMS और ई- मेल के माध्यम से प्रवेश पास
- समय की बचत और कार्यों का त्वरित निपटारा



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें।



विष्णु के सुशासन से सँवर रहा छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के
नए अवसर



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

“
अब उद्यमी बनने की
राह हुई आसान



सिंगल विंडो सिस्टम 2.0



पोर्टल के माध्यम से 16 से अधिक
विभागों की 100 से अधिक सुविधा



ऑफलाइन मोड में किसी भी
कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं



ई-चालान के माध्यम से
पेमेंट की सुविधा



उद्योगों की स्थापना में सहयोग,
युवाओं को रोजगार के मौके



पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही
सभी विभागों का क्लीयरेंस



सिंगल क्लिक पर देखी जा सकती
है आवेदन की स्थिति



QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [f](#) [X](#) [in](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f](#) [X](#) [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

छत्तीसगढ़
आम जनसंपर्क